

कार्यालय कलेक्टर जिला बीजापुर (छत्तीसगढ़)
(आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग)

क्रमांक / 483 / आ0वि0 / प्रयास / 2026-27

बीजापुर दिनांक 15.06.2026

शुद्धिपत्र / संशोधन सूचना

इस कार्यालय द्वारा जारी संक्षिप्त विज्ञप्ति क्रमांक / 477 / आ.वि. / प्रयास / 2026-27, दिनांक 12.06.2026 के माध्यम से मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजनान्तर्गत जिला बीजापुर में संचालित प्रयास आवासीय विद्यालय (बालक / बालिका) में अध्यापन एवं कोचिंग कार्य हेतु पंजीकृत कोचिंग संस्थाओं से ऑनलाइन "रूचि की अभिव्यक्ति" आमंत्रित की गई है। उक्त जारी विज्ञापन एवं टेंडर दस्तावेजों में त्रुटिवश कुछ जानकारी गलत अंकित हो गई थी, जिन्हें निम्नानुसार संशोधित एवं विलोपित पढ़ा जावे।

क्र०	टेंडर दस्तावेज / विज्ञप्ति में पूर्व उल्लेखित विवरण	अब पढ़ा जावे (संशोधित विवरण)
1	2	3
1	कक्षा 09वीं एवं 10वीं में अध्यापन / कोचिंग	कक्षा 09वीं से 12वीं तक में अध्यापन / कोचिंग
2	टेंडर दस्तावेजों में सभी जिलों का विवरण	इसे केवल जिला बीजापुर के लिए ही मान्य किया जावे।

विज्ञप्ति की शेष नियम एवं शर्तें यथावत रहेंगी।


सहायक आयुक्त,
आदिवासी विकास बीजापुर

मॉडल EOI प्रारूप

—:: “रूचि की अभिव्यक्ति” का आमंत्रण—::

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक विकास विभाग द्वारा संचालित प्रयास आवासीय विद्यालयों के कक्षा 9वीं, 10वीं, 11वीं एवं 12वीं में अध्यापन सह कोचिंग कार्य हेतु फैकल्टी की व्यवस्था के लिए पंजीकृत कोचिंग संस्थाओं से

“रूचि की अभिव्यक्ति”(वर्ष 2026–27)

—000—

1. योजना का उद्देश्य :-

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक विकास विभाग द्वारा मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा प्रयास आवासीय विद्यालय योजना अन्तर्गत संचालित प्रयास बालक एवं कन्या आवासीय विद्यालय जिला-रायपुर, दुर्ग, सरगुजा, जशपुर, कोरबा, बस्तर, कांकेर, बालोद, रायगढ़, बिलासपुर, राजनांदगाव, बलरामपुर एवं **बीजापुर** में कक्षा 8वीं उत्तीर्ण चयनित विद्यार्थियों के लिए कक्षा 09वीं, 10वीं, 11वीं एवं 12वीं में शालेय शिक्षा प्रदान करने के साथ-साथ अखिल भारतीय स्तर की इंजीनियरिंग एवं मेडिकल की परीक्षाओं यथा एन.टी.एस.सी., विज्ञान पहेली, जेईई (मेंस/एडवांस), एम्स, नीट, पीईटी इत्यादि जैसी होने वाली प्रतियोगी प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी कराई जानी है।

इसी तरह कक्षा 10वीं **उत्तीर्ण/चयनित** विद्यार्थियों के लिए कक्षा 11वीं/12वीं की स्कूली शिक्षा प्रदान करने के साथ-साथ अखिल भारतीय स्तर की इंजीनियरिंग एवं मेडिकल की परीक्षाओं, जेईई (मेंस/एडवांस), एम्स, नीट, सी.ए./सी.एस./सी.एम.ए/क्लैट पीईटी इत्यादि जैसी होने वाली प्रतियोगी प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी कराई जानी है जिसके फलस्वरूप प्रयास आवासीय विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थी अखिल भारतीय संस्थाओं में बेहतर प्रदर्शन करते हुए इन संस्थाओं में प्रवेश प्राप्त कर सकें, साथ ही ये विद्यार्थी कक्षा 10वीं एवं 12वीं स्तर पर होने वाली छ0ग0 माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा आयोजित बोर्ड परीक्षा की प्रावीण्य सूची में स्थान प्राप्त कर सकें।

कोचिंग संस्थाओं से यह अपेक्षा है कि इस योजना के प्रति संवेदनशील होकर प्रवेशित विद्यार्थियों के भविष्य निर्माण करने की दृष्टि से कार्य किया जाये न कि व्यक्तिगत लाभ की दृष्टि से।

2. योजना संचालन का मोड :-

योजना के अंतर्गत प्रयास विद्यालय से संबंधित शैक्षणिक एवं आवासीय अधोसंरचना एवं सुविधा विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी एवं कोचिंग हेतु शैक्षणिक स्टाफ एवं स्टडी मटेरियल (कक्षा 09वीं से कक्षा 12वीं तक) (सॉफ्ट/हार्ड कापी), अखिल भारतीय प्रतियोगिता परीक्षा हेतु संदर्भ पुस्तकें, मूल्यांकन आदि हेतु OMR टेस्ट तथा OMR मशीन की व्यवस्था EOI के माध्यम से चयनित कोचिंग संस्था द्वारा उपलब्ध कराई जाएंगी।

3. कार्यो का विवरण :-

इस योजनांतर्गत निम्नांकित विद्यालयों के लिए “रुचि की अभिव्यक्ति” ऑनलाईन प्रस्ताव आमंत्रित है:-

(अनुसूचित जनजाति बालक/कन्या प्रयास आवासीय विद्यालय)

क्र.	प्रयास विद्यालय का नाम	वर्ष	कक्षा	विद्यार्थियों की संख्या (प्रति कक्षा) (परिवर्तनीय)	संकाय (कक्षा 11वीं-12वीं हेतु)	भंडार क्रय नियम 2002 यथा संशोधित 2022 के उप-नियम 4.7 में प्रावधान अनुसार 1% प्रतिशत अमानत राशि (राशि रुपये में)
1	2	3	4	5	6	7
01	प्रयास बालक/कन्या आवासीय विद्यालय, बीजापुर जिला बीजापुर (छ.ग.)	2026-27 2027-28 2028-29 2029-30	9वीं 10वीं 11वीं 12वीं	75 बालक + 50 कन्या	गणित एवं जीव विज्ञान संकाय (जेईई मेन्स, एडवांस, नीट एवं समकक्ष)	4,00,000 / -

(i) रुचि की अभिव्यक्ति का ऑनलाईन प्रदर्शन की तिथि	15/06/2026 सायं 03.00 बजे से
(ii) रुचि की अभिव्यक्ति के संबंध में PreBid Meeting	24/06/2026, अपराह्न 2.00 बजे
(iii) निर्धारित प्रपत्र में प्रस्ताव ऑनलाईन प्रेषित करने की अंतिम तिथि	16/07/2026, सायं 3.00 बजे
(iv) प्राप्त प्रस्ताव को समिति के समक्ष खोला जाना एवं तकनीकी मूल्यांकन	21/07/2026, सायं 03.00 बजे
(v) रुचि की अभिव्यक्ति संबंधी अन्य कार्यवाही/जानकारी की सूचना	पृथक से दी जायेगी।

4. कार्य की अवधि:-कार्य की अवधि 04 वर्ष (2026-27, 2027-28, 2028-29 एवं 2029-30) होगी। जिसमें सामान्य परिस्थितियों में निम्नानुसार शाला संचालन होगा :-

क्र	कक्षा	वर्ष	शाला संचालन की अवधि
1	कक्षा 9वीं	2026-27	विभाग अथवा सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास द्वारा जारी वार्षिक कैलेंडर अनुसार
2	कक्षा 10वीं	2027-28	
3	कक्षा 11वीं	2028-29	
4	कक्षा 12वीं	2029-30	

टीप :-उपरोक्तानुसार किसी परिस्थिति व श संस्था के संचालन की समय अवधि में परिवर्तन करना आवश्यक होने की स्थिति में परिवर्तन किया जा सकेगा। शाला संचालन अवधि का ही भुगतान किया जायेगा।

5. अनुबंध की अवधि :-

जिला कलेक्टर द्वारा जिस तिथि से अनुबंध किया जावेगा उस तिथि से अनुबंध की अवधि 04 वर्ष अथवा अंतिम वर्ष के प्रतियोगी परीक्षा की तिथि तक होगी।

6. कक्षा की क्षमता :-

कक्षा 09वीं से कक्षा 12वीं तक प्रति कक्षा स्वीकृत सीट एवं स्थान की उपलब्धता के आधार पर न्यूनतम 03 सेक्शन निर्धारित की जायेगी।

7. अध्यापन की अवधि :-

प्रति शिक्षक न्यूनतम 8 घण्टे का अध्यापन/कोचिंग एवं शिक्षकीय कार्य कराना होगा, जिसमें बोर्ड परीक्षा के अनुसार पाठ्यक्रम का अध्यापन एवं प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग, शिक्षक डायरी, पाठ्यक्रम योजना, गृह कार्य जांच, विद्यार्थीवार विश्लेषण तथा डाउट क्लास आदि शामिल होगा। इसके आधार पर समय सारणी बनाकर प्रशासकीय अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे।

8. कक्षा 9वीं/10वीं हेतु उपलब्ध कराये जाने वाले शिक्षकों की अनिवार्य योग्यताएं :-

योजना का मुख्य उद्देश्य अध्ययनरत विद्यार्थियों को राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं में उत्कृष्ट उपलब्धि प्राप्त कराना है। इस हेतु कक्षा 9वीं, 10वीं का अध्यापन एवं उस

स्तर पर होने वाली प्रतियोगी परीक्षा जैसे गणित, विज्ञान, ओलिंपियाड, विज्ञान पहेली, राष्ट्रीय प्रतिभा खोज इत्यादि परीक्षाओं हेतु उपलब्ध कराये जाने वाले शिक्षकों (Teaching/Coaching Faculty) की शैक्षणिक पृष्ठभूमि उच्च स्तर की होनी चाहिए, जिसके लिए कोचिंग संस्थाओं के Faculty Development Programme के अंतर्गत अध्यापन कराने वाले शिक्षक प्रशिक्षित होना आवश्यक है।

कक्षा 9वीं-10वीं हेतु फैकल्टी की अनिवार्य योग्यताएं निम्नानुसार है :-

क्र.	विषय	फैकल्टी की न्यूनतम संख्या	अनिवार्य योग्यता
1	2	3	4
1.	गणित	01	<p>किसी भी NITसंस्था से न्यूनतम बी.टेक प्रथम श्रेणी/समकक्ष ग्रेड में उत्तीर्ण हो। या किसी भी (AICTE/UGC) से मान्यता प्राप्त संस्थान से बी.टेक/एम.टेक./एम.एस.सी. न्यूनतम प्रथम श्रेणी/समकक्ष ग्रेड उत्तीर्ण तथा GATE क्वालीफाई हो। या संबंधित विषय में यू.जी.सी. द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या शासकीय महाविद्यालय से न्यूनतम प्रथम श्रेणी या समकक्ष ग्रेड के साथ M.Sc हो तथा बी.एड उत्तीर्ण हो।</p>
2.	भौतिक शास्त्र	01	<p>किसी भी NITसंस्था से बी.टेक न्यूनतम प्रथम श्रेणी/समकक्ष ग्रेड में उत्तीर्ण हो। या किसी भी (AICTE/UGC) से मान्यता प्राप्त संस्थान से बी.टेक/एम.टेक./एम.एस.सी. न्यूनतम प्रथम श्रेणी/समकक्ष ग्रेड उत्तीर्ण तथा GATE क्वालीफाई हो। या संबंधित विषय में यू.जी.सी. द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या शासकीय महाविद्यालय से न्यूनतम प्रथम श्रेणी या समकक्ष ग्रेड के साथ M.Sc हो तथा बी.एड उत्तीर्ण हो।</p>
3.	रसायन शास्त्र	01	<p>किसी भी NITसंस्था से बी.टेक न्यूनतम प्रथम श्रेणी/समकक्ष ग्रेड में उत्तीर्ण हो। या किसी भी (AICTE/UGC) से मान्यता प्राप्त संस्थान से बी.टेक/एम.टेक./एम.एस.सी. न्यूनतम प्रथम श्रेणी/समकक्ष ग्रेड उत्तीर्ण तथा GATE क्वालीफाई हो। या संबंधित विषय में यू.जी.सी. द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या शासकीय महाविद्यालय से न्यूनतम प्रथम श्रेणी या समकक्ष ग्रेड के साथ M.Sc तथा बी.एड उत्तीर्ण हो।</p>
4.	जीव विज्ञान	01	<p>किसी भी NITसंस्था से बी.टेक (बायोटेक्नोलॉजी/बायोमैडिकल) न्यूनतम प्रथम श्रेणी/समकक्ष ग्रेड में उत्तीर्ण हो। या संबंधित विषय में यू.जी.सी. द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/शासकीय महाविद्यालय/आटोनोंमस संस्थान से न्यूनतम प्रथम श्रेणी/समकक्ष ग्रेड के साथ M.Sc हो तथा बी.एड उत्तीर्ण हो।</p>
5.	हिन्दी	01	संबंधित विषय में विश्वविद्यालय/शासकीय महाविद्यालय/आटोनोंमस संस्थान से न्यूनतम प्रथम श्रेणी/समकक्ष ग्रेड के साथ स्नातकोत्तर (M.A.) उत्तीर्ण हो तथा बी.एड. उत्तीर्ण हो।
6.	अंग्रेजी	01	संबंधित विषय में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/शासकीय महाविद्यालय/आटोनोंमस संस्थान से न्यूनतम प्रथम श्रेणी/समकक्ष ग्रेड के साथ स्नातकोत्तर (M.A.) उत्तीर्ण हो तथा बी.एड. उत्तीर्ण हो।
7.	संस्कृत	01	संबंधित विषय में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/शासकीय महाविद्यालय/आटोनोंमस संस्थान से न्यूनतम प्रथम श्रेणी/समकक्ष ग्रेड के साथ स्नातकोत्तर (M.A.) उत्तीर्ण हो तथा बी.एड. उत्तीर्ण हो।
8	सामाजिक विज्ञान	01+01	<p>संबंधित विषय में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/शासकीय महाविद्यालय/आटोनोंमस संस्थान से न्यूनतम प्रथम श्रेणी/समकक्ष ग्रेड के साथ स्नातकोत्तर (M.A.) तथा बी.एड. हो। (जिसमें एक इतिहास/राजनीति शास्त्र का तथा दूसरा भूगोल/अर्थशास्त्र विषय का हो) टीप- 02 शिक्षक रखना होगा जो प्रत्येक माह के 15 दिन इतिहास/राजनीति का अध्यापन करायेगा तथा अगले 15 दिन भूगोल/अर्थशास्त्र का अध्यापन करायेगा।</p>

9.	मानसिक योग्यता परीक्षण	01	किसी भी NIT संस्था से बी.टेक न्यूनतम प्रथम श्रेणी/समकक्ष ग्रेड में उत्तीर्ण हो। या किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से बी.टेक./एम.टेक./एम.एस.सी. न्यूनतम प्रथम श्रेणी/समकक्ष ग्रेड से उत्तीर्ण तथा GATE क्वालीफाई हो।
10	मनोवैज्ञानिक एवं कैरियर काउंसलर	01+01	भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित क्षेत्र में न्यूनतम प्रथम श्रेणी/समकक्ष ग्रेड से स्नातक उपाधि। (आवश्यकतानुसार बालक एवं कन्या के लिए महिला एवं पुरुष काउंसलर उपलब्ध कराना होगा)।
11	शारीरिक शिक्षक/योग शिक्षक	01	(अ) किसी भी विधि मान्य संस्थान से शारीरिक शिक्षा में स्नातक (बीपीएड) अथवा योगा पाठ्यक्रम में स्नातक/डिप्लोमा। (ब) NDA के मापदंड अनुसार शारीरिक प्रशिक्षण हेतु पृथक से सेना के रिटायर्ड अधिकारी रखना होगा। (प्रयास बालक आवासीय विद्यालय, सड्डू रायपुर हेतु)
12	प्रोजेक्ट इंचार्ज/समन्वयक	01	किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से मानव-संसाधन ब्रांच में व्यवसाय प्रशासन में स्नातकोत्तर (MBA-HR) तथा किसी शैक्षणिक संस्थान में न्यूनतम 02 वर्ष का प्रबंधन में अनुभव हो।

9. कक्षा 11वीं-12वीं उपलब्ध कराये जाने वाले शिक्षक/फैकल्टी की अनिवार्य योग्यताएं :-

योजना का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं में उत्कृष्ट उपलब्धि प्राप्त करना है, इस हेतु कक्षा 11वीं एवं कक्षा 12वीं का अध्यापन एवं उस स्तर पर होने वाली प्रतियोगी परीक्षा जैसे जेईई मेन्स, एडवांस, नीट, एम्स, सी.ए., सी.एस., सी.एम.ए., क्लैट, एम.बी.ए. इत्यादि परीक्षाओं हेतु उपलब्ध कराये जाने वाले शिक्षकों (Teaching/ Coaching Faculty) की शैक्षणिक पृष्ठभूमि उच्च स्तर की होनी चाहिए। कोचिंग संस्थाओं के Faculty Development Programme के अंतर्गत प्रतियोगी परीक्षाओं के अध्यापन हेतु शिक्षक प्रशिक्षित होने चाहिए।

क्र.	विषय	फैकल्टी की न्यूनतम संख्या	अनिवार्य योग्यताकेवल गणित
(जे.ई.ई. मेन्स/एडवांस) संकाय हेतु			
1.	गणित	02	प्रथम फैकल्टी-आई.आई.टी./एन.आई.टी./आई.आई.आई.टी. से न्यूनतम प्रथम श्रेणी/समकक्ष ग्रेड में बी.टेक.उत्तीर्ण हो। द्वितीय फैकल्टी-मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/शासकीय महाविद्यालय/आटोनामस संस्थान से न्यूनतम प्रथम श्रेणी या समकक्ष ग्रेड से M.Sc एवं बी.एड. हो। या UGC/ CSIR से NET/GATE उत्तीर्ण हो। या IIT/NIT/IIITसे M.Tech/M.Sc न्यूनतम प्रथम श्रेणी/समकक्ष ग्रेड में उत्तीर्ण।
2.	भौतिक शास्त्र	02	प्रथम फैकल्टी-आई.आई.टी./एन.आई.टी./आई.आई.आई.टी.से न्यूनतम प्रथम श्रेणी/समकक्ष ग्रेड में बी.टेक.उत्तीर्ण हो। द्वितीय फैकल्टी-मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/महाविद्यालय से न्यूनतम प्रथम श्रेणी/समकक्ष ग्रेड से M.Sc एवं बी.एड.हो। या UGC/ CSIR से NET/ GATE उत्तीर्ण हो। या IIT/NIT/IIITसे M.Tech/M.Sc न्यूनतम प्रथम श्रेणी/समकक्ष ग्रेड में उत्तीर्ण।
3.	रसायन शास्त्र	02	प्रथम फैकल्टी-आई.आई.टी./एन.आई.टी./आई.आई.आई.टी. से न्यूनतम प्रथम श्रेणी/समकक्ष ग्रेड में बी.टेक. उत्तीर्ण हो। द्वितीय फैकल्टी-मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/महाविद्यालय से न्यूनतम प्रथम श्रेणी/समकक्ष ग्रेड से M.Sc एवं बी.एड.हो। या UGC/ CSIR से NET/ GATE उत्तीर्ण हो।

			या IIT/NIT/IIITसे M.Tech/M.Scन्यूनतम प्रथम श्रेणी/समकक्ष ग्रेड में उत्तीर्ण।
केवल जीव विज्ञान (नीट/एम्स) संकाय हेतु			
1.	जीव विज्ञान/ वनस्पति विज्ञान	02	प्रथम फैकल्टी—एम.बी.बी.एस. में न्यूनतम प्रथम श्रेणी/समकक्ष ग्रेड से उत्तीर्ण हो। या शासकीय संस्था से न्यूनतम प्रथम श्रेणी/समकक्ष ग्रेड में बी.डी.एस./एम.डी.एस. हो। द्वितीय फैकल्टी—मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/महाविद्यालय से न्यूनतम प्रथम श्रेणी/समकक्ष ग्रेड से M.Sc एवं बी.एड.हो। या UGC/ CSIR से NET/ GATEउत्तीर्ण हो।
2.	भौतिक शास्त्र	02	प्रथमफैकल्टी—आई.आई.टी./एन.आई.टी./आई.आई.आई.टी.से न्यूनतम प्रथम श्रेणी/समकक्ष ग्रेड में बी.टेक.उत्तीर्ण हो। द्वितीय फैकल्टी—मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/महाविद्यालय से न्यूनतम प्रथम श्रेणी/समकक्ष ग्रेड से M.Sc एवं बी.एड.हो। या UGC/ CSIR से NET/ GATEउत्तीर्ण हो। या IIT/NIT/IIITसे M.Tech/M.Scन्यूनतम प्रथम श्रेणी/समकक्ष ग्रेड में उत्तीर्ण।
3.	रसायन शास्त्र	02	प्रथमफैकल्टी—आई.आई.टी./एन.आई.टी./आई.आई.आई.टी. से न्यूनतम प्रथम श्रेणी/समकक्ष ग्रेड में बी.टेक.उत्तीर्ण हो। द्वितीय फैकल्टी—मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/महाविद्यालय से न्यूनतम प्रथम श्रेणी/समकक्ष ग्रेड से M.Sc एवं बी.एड.हो। या UGC/ CSIR से NET/ GATEउत्तीर्ण हो। या IIT/NIT/IIIT से M.Tech/M.Scन्यूनतम प्रथम श्रेणी/समकक्ष ग्रेड में उत्तीर्ण।
जहां संयुक्त रूप से गणित एवं जीव विज्ञान दोनों संकाय संचालित है			
1.	गणित	02	प्रथम फैकल्टी —आई.आई.टी./एन.आई.टी./आई.आई.आई.टी. से न्यूनतम प्रथम श्रेणी/समकक्ष ग्रेड में बी.टेक उत्तीर्ण हो। द्वितीय फैकल्टी —मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/महाविद्यालय से न्यूनतम प्रथम श्रेणी/समकक्ष ग्रेड से M.Sc एवं बी.एड.हो। या UGC/ CSIR से NET/ GATE उत्तीर्ण हो। या IIT/NIT/IIIT से M.Tech/M.Scन्यूनतम प्रथम श्रेणी/समकक्ष ग्रेड में उत्तीर्ण।
2.	भौतिक शास्त्र	02	प्रथमफैकल्टी—आई.आई.टी./एन.आई.टी./आई.आई.आई.टी.से न्यूनतम प्रथम श्रेणी/समकक्ष ग्रेड में बी.टेकउत्तीर्ण हो। द्वितीय फैकल्टी—मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/महाविद्यालय से न्यूनतम प्रथम श्रेणी/समकक्ष ग्रेड से M.Sc एवं बी.एड.हो। या UGC/ CSIR से NET/ GATEउत्तीर्ण हो। या IIT/NIT/IIITसे M.Tech/M.Scन्यूनतम प्रथम श्रेणी/समकक्ष ग्रेड में उत्तीर्ण।

3.	रसायन शास्त्र	02	<p>प्रथम फैकल्टी—आई.आई.टी./एन.आई.टी./आई.आई.आई.टी.से प्रथम श्रेणी/समकक्ष ग्रेड में बी.टेक.उत्तीर्ण हो।</p> <p>द्वितीय फैकल्टी—मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/महाविद्यालय से न्यूनतम प्रथम श्रेणी/समकक्ष ग्रेड से M.Sc एवं बी.एड.हो।</p> <p>या</p> <p>UGC/ CSIR से NET/ GATEउत्तीर्ण हो।</p>
4.	जीव विज्ञान/वनस्पति विज्ञान	02	<p>प्रथम फैकल्टी—एम.बी.बी.एस.में न्यूनतम प्रथम श्रेणी/समकक्ष ग्रेड में उत्तीर्ण हो।</p> <p>या</p> <p>शासकीय संस्था से न्यूनतम प्रथम श्रेणी/समकक्ष ग्रेड में बी.डी.एस./एम.डी.एस. हो।</p> <p>द्वितीय फैकल्टी—मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/महाविद्यालय से न्यूनतम प्रथम श्रेणी/समकक्ष ग्रेड से M.Sc एवं बी.एड.हो।</p> <p>या</p> <p>UGC/ CSIR से NET/ GATEउत्तीर्ण हो।</p>
वाणिज्य संकाय (सी.ए., सी.एस., सी.एम.ए, आई.सी.डब्लू.ए.) हेतु			
1.	वाणिज्य संकाय	04	<p>प्रथम फैकल्टी—सी.ए./सी.एस./सी.एम.ए. उपाधि धारक हो।</p> <p>द्वितीय फैकल्टी—मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/महाविद्यालय से न्यूनतम प्रथम श्रेणी/समकक्ष ग्रेड से एम.काम. एवं बी.एड.हो</p> <p>या</p> <p>UGC/NETउत्तीर्ण हो।</p> <p><u>एकाउन्टेन्सी विषय पढ़ाने हेतु।</u></p> <p>तृतीय फैकल्टी—मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/महाविद्यालय से न्यूनतम प्रथम श्रेणी/समकक्ष ग्रेड से एम.काम. एवं बी.एड. हो</p> <p>या</p> <p>UGC/NETउत्तीर्ण हो।</p> <p><u>व्यवसायिक अध्ययन विषय पढ़ाने हेतु।</u></p> <p>चतुर्थ फैकल्टी—मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/महाविद्यालय से न्यूनतम प्रथम श्रेणी/समकक्ष ग्रेड से अर्थशास्त्र विषय में स्नातकोत्तर एवं बी.एड.हो।</p> <p>या</p> <p>UGC/NETउत्तीर्ण हो।</p>
कला संकाय (क्लैट) हेतु			
1.	क्लैट (कला संकाय)	04	<p>प्रथम फैकल्टी— भारत सरकार द्वारा स्थापित नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी/केन्द्रीय विश्वविद्यालय/महाविद्यालय से एल.एल.बी. न्यूनतम प्रथम श्रेणी/समकक्ष ग्रेड उपाधि धारक हो।</p> <p>या</p> <p>किसी भीमान्यता प्राप्त संस्था से एल.एल.एम. उपाधि धारक जो न्यूनतम प्रथम श्रेणी/समकक्ष ग्रेड से उत्तीर्ण हो।</p> <p>या</p> <p>UGC/NET/CSIR उत्तीर्ण को प्राथमिकता।</p>

			<p>द्वितीयफैकल्टी—मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/महाविद्यालय से न्यूनतम प्रथम श्रेणी/समकक्ष ग्रेड सेराजनीति विज्ञान विषय में स्नातकोत्तर एवं बी.एड. हो</p> <p>या</p> <p>संबंधित विषय मेंUGC/NET उत्तीर्ण हो।</p> <p>तृतीय फैकल्टी—मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/महाविद्यालय से न्यूनतम प्रथम श्रेणी/समकक्ष ग्रेड से इतिहास विषय में स्नातकोत्तर एवं बी.एड. हो।</p> <p>या</p> <p>संबंधित विषय में UGC/NET उत्तीर्ण हो।</p> <p>चतुर्थ फैकल्टी—मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/महाविद्यालय से न्यूनतम प्रथम श्रेणी/समकक्ष ग्रेड से गणित विषय में स्नातकोत्तर एवं बी.एड.हो।</p> <p>या</p> <p>संबंधित विषय में UGC/NET उत्तीर्ण हो</p>
सभी संकाय में निम्नांकित विषयों के फैकल्टी अनिवार्यतः रखना होगा।			
1.	हिन्दी	01	<p>मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय /महाविद्यालय से न्यूनतम 60%अंक/समकक्ष ग्रेड सेहिन्दी साहित्य विषय में स्नातकोत्तर एवं बी.एड.हो।</p> <p>या</p> <p>UGC/NETउत्तीर्ण हो।</p>
2.	अंग्रेजी	01	<p>मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/महाविद्यालय से न्यूनतम 60%अंक/समकक्ष ग्रेडसे अंग्रेजीसाहित्य विषय में स्नातकोत्तर एवं बी.एड.हो।</p> <p>या</p> <p>UGC/NETउत्तीर्ण हो।</p>
3	मनोवैज्ञानिक एवं कैरियर काउंसलर	01+01	<p>भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/महाविद्यालय से संबंधित क्षेत्र में स्नातक उत्तीर्ण हो। (आवश्यकतानुसार बालक एवं कन्या के लिए महिला एवं पुरुष काउंसलर उपलब्ध कराना होगा)।</p>
4	शारीरिक शिक्षक/योग शिक्षक	01	<p>किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से शारीरिक शिक्षा में स्नातक (बीपीएड) अथवा योगा पाठ्यक्रम में स्नातक/ डिप्लोमा।</p>
5	प्रोजेक्ट इंचार्ज/समन्वयक	01	<p>किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से मानव-संसाधन ब्रांच में व्यवसाय प्रशासन में स्नातकोत्तर (MBA-HR) तथा किसी शैक्षणिक संस्थान में न्यूनतम 02 वर्ष का प्रबंध में अनुभव हो।</p>

10. रुचि की अभिव्यक्ति अंतर्गत आवेदन करने का तरीका :-

(i) आवेदन पत्र का शुल्क तथा अमानत राशि का विवरण :-

(अ) इच्छुक कोचिंग संस्थाएँ आवेदन का प्रारूप, न्यूनतम पात्रता शर्तें, सुरक्षा निधि की राशि तथा अन्य जानकारी जिले की वेबसाईट **www.bijapur.cg.nic** तथा ई-प्रोक्योरमेंट वेब पोर्टल/जेम पोर्टल से अवलोकन कर प्राप्त (Download)कर सकते हैं।आवेदन पत्र के शुल्क हेतु राशि रुपये 5000/- (शब्दों में पांच हजार मात्र) अतिरिक्त जीएसटी के साथ ऑनलाईन जमा करना होगा।

(ब) इच्छुक फर्म कंडिका-03 में दिये गये विवरण अनुसार भंडार क्रय नियम 2002 यथा संशोधित 2022 के उप-नियम 4.7 में प्रावधान अनुसार 1% प्रतिशत अमानत राशि प्रत्येक

कार्य के लिए पृथक-पृथक ऑनलाईन जमा कर आवेदन जमा करना होगा। इच्छुक कोचिंग संस्थाएं 03 बंद लिफाफा पद्धति में अपना प्रस्ताव ऑनलाईन प्रस्तुत करेंगे।

आवेदन पत्र का भाग-एक(प्रथम लिफाफा) अनिवार्य अर्हता संबंधी योग्यता निम्नानुसार रहेगी :-

क्र.	विवरण		
1.	आवेदन करने वाली कोचिंग संस्था का भारत सरकार या छत्तीसगढ़ शासन के अधीन निम्नांकित प्रकार के फर्म अंतर्गत पंजीकृत होना चाहिए।		
	क्र.	फर्म का प्रकार	पंजीयन
	1	पार्टनरशिप फर्म	रजिस्ट्रार फर्म द्वारा जारी प्रमाण-पत्र
	2	कम्पनी एक्ट/LLP	रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी अंतर्गत पंजीयन
	3	ट्रस्ट	राजिस्ट्रार द्वारा जारी ट्रस्ट के पंजीयन संबंधी दस्तावेज
	4	सोसायटी	राजिस्ट्रार ऑफ सोसायटी अधिनियम-1860 का पंजीयन
	5	प्रोपराईटरशिप फर्म	गुमाश्ता एक्ट अंतर्गत पंजीकृत
	संस्था का पंजीयन 01.04.2025 से न्यूनतम 03 वर्ष पूर्व का होना चाहिए। पंजीयन गलत प्राप्त होने अथवा शिकायत प्राप्त होने पर संस्था के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाएगी।		
	टीप:- मूल फर्म आवेदन कर सकेंगी, Franchise मान्य नहीं होगा।		
2.	फर्म का पेन (PAN)पंजीयन अनिवार्यतः होना चाहिए तथा इसका प्रमाण पत्र संलग्न किया जाए। यदि टैक्स में छूट प्रदान किया गया है तो संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें। कार्य मिलने पर छत्तीसगढ़ राज्य के GST Numberसे बिलींग की जावेगी।		
	क्र.	दस्तावेज	विवरण
	01	पेन	PAN प्रमाण पत्र संलग्न करें।
	02	जीएसटी नंबर	GST प्रमाण पत्र संलग्न करें। यदि फर्म के पास छत्तीसगढ़ में GST पंजीयन प्रमाण पत्र उपलब्ध हो संलग्न करें।
	टीप :-		
	1. ऐसी संस्था जो रूचि की अभिव्यक्ति में भाग ले रहे है एवं छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर के है उन्हें छत्तीसगढ़ में जीएसटी (GST) पंजीयन प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा, तत्पश्चात् ही कार्यदेश जारी किया जावेगा।		
	2. पेन एवं जीएसटी नंबर आवेदक के नाम से होना चाहिए।		
3.	(I) कोचिंग फर्म का प्रतियोगी परीक्षाओं संबंधी कोचिंग कार्यों का विगत 03 वर्षों 2022-23, 2023-24 एवं 2024-25का औसत टर्न ओवर रु. 100.00 लाख से कम नहीं होना चाहिए। टर्न ओवर में फर्म द्वारा संचालित अन्य गतिविधियों/व्यापारिक प्रक्रियाओं से प्राप्त आय/संपत्ति को इसमें शामिल न किया जाए। फर्म को प्रमाण स्वरूप विगत 3 वर्षों में (2022-23, 2023-24 एवं 2024-25) का अंकेक्षण प्रतिवेदन (ऑडिट रिपोर्ट), बैलेन्स शीट प्रस्तुत करना होगा। इसके अतिरिक्त चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट का एक प्रमाण पत्र जिसमें विगत तीनों वर्षों 2022-23, 2023-24 एवं 2024-25के प्रतियोगी परीक्षाओं संबंधी कार्यों से संबंधित टर्न ओवर का पृथक-पृथक उल्लेख हो। (II) कोचिंग फर्म का प्रतियोगी परीक्षाओं संबंधी कोचिंग कार्यों के व्यवसाय का माहमार्च2026काGSTरिटर्न (GSTR-1 &3B)का विवरण। (III) कोचिंग फर्म का वित्तीय वर्ष 2022-23, 2023-24 एवं 2024-25 काIncome Tax		

Return Acknowledgement & Computation संलग्न करें।		
क्र.	दस्तावेज	विवरण
1	टर्न ओव्हर सर्टिफिकेट	संलग्न प्रारूप अनुसार (परिशिष्ट-EC-5)
2	ऑडिट रिपोर्ट	वित्तीय वर्ष 2022-23, 2023-24 एवं 2024-25 का संलग्न करें।
3	आईटी रिटर्न एण्ड Computation	वित्तीय वर्ष 2022-23, 2023-24 एवं 2024-25 का संलग्न करें।
4	जीएसटी रिटर्न	माह मार्च 2026 का GST रिटर्न (GSTR-1 & 3B) संलग्न करें।
4.	अमानत राशि के रूप में कंडिका-03 के कॉलम (7) में दिये गये विवरण अनुसार निर्धारित राशि ऑनलाईन जमा करना होगा।	
5.	भारत देश के अंतर्गत किसी भी राज्य में शासन/लोक उपक्रम/विभाग/एजेंसी अंतर्गत कोचिंग फर्म को निविदा जमा करने की तिथि तक काली सूची में न डाला हो और न ही कोई कारण बताओं नोटिस जारी किया गया हो और यदि कारण बताओ नोटिस जारी किया गया हो तो उसका निराकरण हो गया हो। पूर्व में सभी शिक्षकों के वेतन भुगतान की कोई भी शिकायत लंबित नहीं होनी चाहिए। इस संबंध में संलग्नक EC-08 के प्रपत्र में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।	
6	आवेदक का पी.एफ./ई.एस.आई में रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। पी.एफ./ई.एस.आई में रजिस्ट्रेशन की प्रति संलग्न करें। EC-09	
	क्र.	दस्तावेज
	1	पी.एफ. पंजीयन सर्टिफिकेट
	2	ई.एस.आई.सी.
		विवरण
		पंजीयन सर्टिफिकेट संलग्न करें।
		पंजीयन सर्टिफिकेट संलग्न करें।

टीप— ज्वाइंट वेंचर (Joint Venture) एवं कन्सॉर्टियम (Consortium) भाग लेने हेतु वे फर्म पात्र नहीं होगा।
भाग एक में EC-1 से EC-9 तक की जानकारी रखा जाना है :-

- (ii) **आवेदन पत्र का भाग—दो :-** इसके अंतर्गत **TE-1** से **TE-10** तक की पृथक-पृथक जानकारी भाग—दो में भरा जाना है।
- (iii) **आवेदन पत्र का भाग—तीन (वित्तीय प्रस्ताव) :-** इसके अंतर्गत तीसरे लिफाफे में वित्तीय प्रस्ताव (दर) **FB-1** निर्धारित प्रारूप में अपलोड करने के साथ ही ऑनलाईन में दर्शित किया जाना है।
उपरोक्तानुसार भाग—एक, भाग—दो एवं भाग—तीन को ऑनलाईन में प्रदत्त निर्देश/फॉर्मट अनुसार भरा जाना है।
- (iv) सभी प्राप्त आवेदन पत्र का लिफाफा क्रमांक-01 अनिवार्य योग्यता संबंधी लिफाफा खोला जाएगा। इसके परीक्षण उपरांत पात्रता रखने वाले संस्थाओं का ही द्वितीय लिफाफा खोला जाएगा। द्वितीय लिफाफा (तकनीकी योग्यता संबंधी) में पात्र पाए जाने वाले संस्थाओं का ही तृतीय लिफाफा (वित्तीय प्रस्ताव) खोला जाएगा। वित्तीय लिफाफा खोलने हेतु संस्था को पृथक से सूचना दी जावेगी। चयन समिति द्वारा तकनीकी एवं वित्तीय मूल्यांकन पश्चात् अंतिम रूप से सफल फर्म को पृथक से सूचित किया जाएगा।
- (v) आवेदन खोलते समय आवेदक स्वयं अथवा उनके एक **Power of Attorney** द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकेंगे। साथ ही आवेदक के समस्त पार्टनर/बोर्ड ऑफ

डायरेक्टर/ट्रस्टी/मैनेजिंग कमेटी का पारित प्रस्ताव जिसमें पावर ऑफ एटार्नी प्रदायकर्ता एवं प्राप्तकर्ता का स्पष्ट उल्लेख हो।

(vi) पावर ऑफ एटार्नी 100 रुपये के स्टाम्प पेपर में पंजीयन अनिवार्य है।

11. सुरक्षा निधि :-

- (i) (अ) सफल निविदाकार फर्म के चयन होने के उपरांत अनुबंध तथा कार्यादेश जारी होने के पूर्व के प्रत्येक कार्य के लिए प्रयास आवासीय विद्यालय के कक्षा 09 से कक्षा 12वीं तक स्वीकृत सीट के मान से कुल कार्य की लागत का 3% राशि एफडीआर सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, जिला बीजापुर के पक्ष में प्रस्तुत करना होगा। फर्म से प्राप्त एफडीआर का सत्यापन संबंधित बैंक से कराना अनिवार्य होगा।
- (ii) (ब) 3% एफडीआर की राशि आवंटित कार्य को सफलता पूर्वक पूर्ण करने तथा अंतिम किश्त की राशि भुगतान के उपरांत वापसी योग्य होगी।
- (iii) निम्नांकित परिस्थितियों में सुरक्षा निधि की राशि एफडीआर को राजसात कर ली जायेगी—
 (अ) यदि अनुबंधित संस्था अनुबंध अनुसार कार्य करने से मना करता है।
 (ब) यदि अनुबंध अवधि के मध्य अनुबंधित संस्था द्वारा कार्य बीच में छोड़ दिया जाता है।
 (स) आवेदक संस्था द्वारा जानबूझकर गलत जानकारी देकर कार्यादेश प्राप्त कर लेता है।
 (द) संस्था द्वारा नियुक्त शिक्षकों/फैकल्टी को उनके मानदेय का भुगतान नहीं करने की दशा में।
- (iv) ऐसे फर्म जिनका ऑनलाईन में जमा अमानत 1% राशि कार्य आवंटित नहीं होने की स्थिति में वापस कर दिया जावेगा।

12. प्राप्त प्रस्तावों के मूल्यांकन का तरीका :-

योजना के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सर्वोच्च गुणवत्ता की संस्था को चयन में प्राथमिकता देने हेतु प्राप्त प्रस्तावों का गुणवत्ता सहमूल्य आधारित प्रक्रिया (Quality Cum Cost Based System) के अनुसार मूल्यांकन किया जाएगा। इसके दो भाग होंगे :-

12.1 तकनीकी मूल्यांकन :-

न्यूनतम योग्यता पूर्ण करने वाले फर्म का ही तकनीकी प्रस्ताव (लिफाफा) खोला जायेगा, यह अधिकतम 100 अंक का होगा। जिसका मूल्यांकन निम्नलिखित मानकों के आधार पर प्रस्तुत दस्तावेज एवं पॉवर पॉइंट प्रेजेंटेशन के आधार पर किया जायेगा -

(अ) गणित (जे.ई.ई. मेन्स/एडवांस), जीवविज्ञान (नीट) :-

क्र.	विवरण	विद्यार्थियों की संख्या	अंक	अधिकतम अंक
1	विगत 03 वर्षों (2022-23, 2023-24, 2024-25) के औसत आधार पर कोचिंग संस्था द्वारा अध्ययनरत विद्यार्थियों का JEE (Mains) जैसी प्रतियोगी परीक्षा में राष्ट्रीय स्तर पर ओवर ऑल 10,000 रैंक तक प्राप्त के आधार पर।	1 से 100 101 से 500 500 से अधिक	08 16 25	25
2	विगत 03 वर्षों (2022-23, 2023-24, 2024-25) के औसत आधार पर कोचिंग संस्था द्वारा अध्ययनरत विद्यार्थियों का JEE (Mains) जैसी प्रतियोगी परीक्षा में छत्तीसगढ़ राज्य स्तर पर (State Rank) 10000 रैंक तक प्राप्त के आधार पर।	1 से 10 11 से 25 25 से अधिक	01 02 05	05
3	विगत 03 वर्षों (2022-23, 2023-24, 2024-25) के औसत आधार पर कोचिंग संस्था द्वारा अध्ययनरत विद्यार्थियों का NEET जैसी प्रतियोगी परीक्षा में राष्ट्रीय स्तर पर ओवर ऑल 20000 रैंक तक प्राप्त के आधार पर।	1 से 100 101 से 500 500 से अधिक	08 16 25	25
4	विगत 03 वर्षों (2022-23, 2023-24, 2024-25) के औसत आधार पर	1 से 25	01	05

	कोचिंग संस्था द्वारा अध्ययनरत विद्यार्थियों का NEET जैसीप्रतियोगी परीक्षा में छत्तीसगढ़ राज्य स्तर पर (State Rank)20000 रैंक तक प्राप्त के आधार पर।	26 से 50 50 से अधिक	02 05	
5	कोचिंग संस्था के विगत 03 वर्षों के औसत टर्नओवर के आधार पर। (वित्तीय वर्ष 2022–23, 2023–24 एवं 2024–25)	100 लाख से 150 लाख तक 150 लाख से अधिक200 लाख तक 200 लाख से अधिक	03 07 10	10
8	Study Material की गुणवत्ता	—	10	10
9	योजना क्रियान्वयन की विस्तृत रणनीति तथा Approach and Methodology पर पावर पाईन्ट प्रजेन्टेशन (प्रमाणित प्रति संलग्न करें)	—	20	20
योग —				100

(ब) केवल वाणिज्य/कला (CA, CS, CMA, ICWA, क्लैट, बैंकिंग आदि परीक्षाओं हेतु):—

क्र.	विवरण	विद्यार्थियों की संख्या	अंक	अधिकतम अंक
1	विगत 03 वर्ष(2022–23, 2023–24, 2024–25) के औसत आधार पर कोचिंग संस्था द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर क्लैट, सी.ए (फाईनल), सी.एस. (फाईनल), सी.एम.ए., बैंकिंग, ICWA(फाईनल) जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में चयनित/उत्तीर्ण	1 से 50 51 से 100 100 से अधिक	13 26 40	40
2	कोचिंग संस्था के विगत 03 वर्षों के औसत टर्नओवर के आधार पर। (वित्तीय वर्ष 2022–23, 2023–24 एवं 2024–25)	100 लाख से 150 लाख तक 150 लाख से अधिक200 लाख तक 200 लाख से अधिक	06 12 20	20
3	Study Material की गुणवत्ता	—	20	20
4	योजना क्रियान्वयन की विस्तृत रणनीति तथा Approach and Methodologyपर पावर पाईन्ट प्रजेन्टेशन (प्रमाणित प्रति संलग्न करें)	—	20	20
योग —				100

12.2 तकनीकी मूल्यांकन द्वारा प्रस्तावों का लघुकृतिकरण :—

(अ)तकनीकी मूल्यांकन के 100 अंक में से न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक अर्जित करने वाले संस्थाओं का ही वित्तीय लिफाफा ऑनलाईन खोला जायेगा। उपरोक्तानुसार अर्ह संस्थाओं की संख्या 03 से कम होने पर न्यूनतम 60 प्रतिशत की अनिवार्यता जिला कलेक्टर द्वारा शिथिल की जा सकेगी।

(ब) स्टडी मटेरियल की गुणवत्ता हेतु संबंधित विषय विशेषज्ञों की समिति से मूल्यांकन कराया जायेगा।

12.3 वित्तीय प्रस्ताव का मूल्यांकन :—

वित्तीय प्रस्ताव का मूल्यांकन निम्नांकित सूत्र पर आधारित होगा :—

$$EF = 100 \times FM/F$$

यहां पर EF का अर्थ होगा वित्तीय अंक, FM का अर्थ न्यूनतम मूल्य तथा F का अर्थ विचाराधीन प्रस्ताव में दर्शाये गये मूल्य से है।

12.4 प्रस्ताव का अंतिम श्रेणीकरण :-

प्रस्ताव का अंतिम श्रेणीकरण तकनीकी अंक (ET) का 50प्रतिशत अधिभार तथा वित्तीय अंक (EF) का 50प्रतिशत अधिभार देते हुए दोनों का योग कर अंको के घटते क्रम अनुसार कोचिंग संस्थाओं का अंतिम श्रेणीकरण किया जायेगा। शासनहित में सफल निविदाकारों से प्राप्त दर पर समिति द्वारा निगोशिएशन किया जा सकेगा।

13. कोचिंग संस्थाओं को कार्य आबंटित किये जाने की प्रक्रिया:-

(अ)श्रेणीकरण :-

प्रत्येक प्रयास आवासीय विद्यालय के लिए कोचिंग संस्थाओं का मूल्यांकन पश्चात् अंतिम श्रेणीकरण किया जाकर कोचिंग संस्थाओं का पैनेल बनाया जायेगा। सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले संस्था को प्रथम स्थान देते हुये कार्य करने हेतु सहमति पत्र (Letter of acceptance) कोचिंग संस्था को जारी किया जाएगा।

(ब) फैकल्टी के अध्यापन कुशलता का डेमो:-

Letter of acceptanceजारी होने के 15 दिवस के अंदर EOI में दर्शित निर्धारित योग्यता के फैकल्टी/स्टॉफ की सूचीसभी अभिलेखों सहित उपलब्ध कराना होगा। एक विषय में एक से अधिक शिक्षक का पैनेल भी दिया जाए। जिससे Subsituteकी व्यवस्था हो सकेगी। अध्यापन कुशलता हेतु निर्धारित-40 अंक है। कोचिंग संस्था/फर्म को नवीन फैकल्टी का डेमो कराना होगा। डेमो हेतु अधिकतम 02 अवसर दिया जाएगा। जिसका विवरण निम्नानुसार है -

- | | | |
|---|---|--------|
| (i) शैक्षणिक योग्यता, विषय ज्ञान एवं विषय की समझ | — | 20 अंक |
| (ii) शिक्षण कौशल, व्यवहार/व्यक्तित्व | — | 15 अंक |
| (iii)विषय विशेषज्ञों द्वारा पूछे गए प्रश्नों एवं समस्या समाधान के तरीके | — | 05 अंक |

टीप :-यदि कोई फैकल्टी प्रयास आवासीय विद्यालय संस्था या अन्य किसी संस्था से उसके दुराचरण एवं दुरव्यवहार के कारण कार्य से पृथक किया गया है तो उसे डेमो में शामिल नहीं किया जाएगा।

(स) अनुबंध की पूर्व की तैयारी :-

कोचिंग संस्था/फर्म के फैकल्टी के अंतिम चयन के उपरांत 03 दिवस के अंदर विद्यालय के लिए कोचिंग संस्था द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले समस्त फैकल्टी की सूची योग्यता/बायोडाटा (02 फोटो सहित), शैक्षणिक प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, वोटर आई.डी. कार्ड, निवास-प्रमाण पत्र, सुरक्षा निधि की राशि, शिक्षकों के साथ किया गया अनुबंध जिसमें वेतन का विवरण का अंतिम रूप प्रदान करने के पश्चात् ही अनुबंध की कार्यवाही की जायेगी तथा कार्यादेश जारी किया जाएगा।

(द) कोचिंग संस्था/फर्म के अनुबंध निरस्त होने पर कार्यवाही :-

किसी कारण से कोचिंग संस्था द्वारा कार्य करने में असमर्थता/असफलता या अनुबंध निरस्त किये जाने की स्थिति में अंतिम मूल्यांकन में प्राप्त अंकों के वरीयता क्रम में कोचिंग संस्थाओं को अवसर प्रदान किया जाएगा। अनुबंध निरस्त किये गये फर्म के दर पर ही कार्यादेश दिया जा सकेगा।

(इ) कोचिंग संस्था/फर्म का मूल्यांकन :-

यद्यपि चयनित कोचिंग फर्म का अनुबंध कक्षा 9वीं से 12वीं के लिए किया जाएगा किंतु प्रथमतः कार्यादेश कक्षा 9वीं एवं 10वीं के अध्यापन के लिए जारी किया जाएगा। कक्षा 9वीं एवं 10वीं में कोचिंग संस्था द्वारा अध्यापन कराए गए विद्यार्थियों की उपलब्धि का विश्लेषण नियमावली में दर्शित कंडिका अनुसारकोचिंग संस्था को भुगतान का तरीका अन्तर्गत मानकों के आधार पर समिति द्वारा किए जाने के उपरांत अनुशंसा अनुसार कक्षा 11वीं एवं 12वीं के लिए कार्यादेश कोचिंग फर्म को जारी किया जाएगा। समिति द्वारा अनुशंसा में यह पाया जाता है कि कोचिंग संस्था ने अपने दायित्वों का निर्वहन ठीक से नहीं किया है तथा विद्यार्थियों की प्रगति अपेक्षित स्तर की नहीं है की

स्थिति में वर्तमान कोचिंग संस्था को कक्षा-11वीं, 12वीं का कार्यादेश नहीं किया जाएगा तथा रोकी गई 25%प्रतिशत की राशि प्रदान नहीं की जाएगी एवं अन्य कोचिंग संस्थाओं को कक्षा 11वीं एवं 12वीं में अध्यापन हेतु कार्यादेश प्रदान किया जा सकेगा। इस हेतु जिला कलेक्टर सक्षम होंगे।

14. “रूचि की अभिव्यक्ति” अंतर्गत प्राप्त प्रस्तावों का मूल्यांकन हेतु समिति एवं अधिकार :-

- (अ) योजना नियमावली अनुसार गठित समिति द्वारा प्राप्त प्रस्ताव एवं अभिलेखों का मूल्यांकन करेगी। मूल्यांकन समिति का निर्णय अंतिम होगा तथा मूल्यांकन के संबंध में किसी भी प्रकार का पत्राचार स्वीकार्य नहीं किया जायेगा।
- (ब) सर्वाधिक उपयुक्त प्रस्तावकर्ता से निगोसियेशन किया जा सकेगा।
- (स) मूल्यांकन समितिको अधिकार होगा कि—
- वह किसी भी प्रस्ताव को अस्वीकार कर सकें।
 - किसी प्रस्तावके आंशिक या पूर्णता से स्वीकार्य कर सकें।
 - समिति के राय में यदि कोई प्रस्ताव ऐसा है कि जो कार्य करने में सक्षम नहीं है तो उसे रिजेक्ट कर सकेगी।
 - आवेदक द्वारा मिथ्या पूर्ण या कपट पूर्ण जानकारी दिया गया हो या जानकारी जानबुझकर छिपाई गई हो तो उस प्रस्ताव को निरस्त कर संस्था के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी।

15. चयनित कोचिंग संस्था/फर्म के दायित्व :-

(अ) **उपलब्ध कराये जा रहे फ़ैकल्टी की योग्यता/विशेषज्ञता :-** अनुबंध एवं कार्यादेश जारी होने के एक सप्ताह के अंदर फ़ैकल्टी के अध्यापन कौशल परीक्षण में चयनित एवं अंतिम रूप दिए गए फ़ैकल्टी की सूची संबंधित जिले के सहायक आयुक्त आदिवासी विकास/प्रशासकीय अधिकारी को उपलब्ध कराना होगा। प्रशासकीय अधिकारी का दायित्व होगा कि वे कोचिंग संस्था द्वारा उपलब्ध कराए गए फ़ैकल्टी सूची का पुनः परीक्षण अपने स्तर से करेंगे तथा रिपोर्ट जिला कलेक्टर को प्रेषित करेंगे। जिला कलेक्टर से अनुमोदन पश्चात् फ़ैकल्टी अध्यापन/कोचिंग कार्य प्रारंभ करेंगे। पूर्व से कार्यरत फ़ैकल्टी के अपरिहार्य परिस्थितियों में अनुपस्थिति के कारण स्थानापन्न समकक्ष योग्यता के फ़ैकल्टी की व्यवस्था अधिकतम 03 दिन में करना होगा। स्थानापन्न फ़ैकल्टी की योग्यता एवं अनुभव EOI के अनुसार होने पर कार्यालय सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास में भेजकर अध्यापन कौशल का परीक्षण कराना होगा तथा इसमें न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। EOI में दर्शित योग्यता होने पर तथा अध्यापन कौशल में निर्धारित अंक प्राप्त नहीं करने पर कोचिंग फर्म पर पेनाल्टी अधिरोपित की जाएगी। इसका निर्धारण हेतु तत्काल प्रस्ताव संबंधित जिले के सहायक आयुक्त आदिवासी विकास द्वारा कलेक्टर के माध्यम से प्रस्ताव मुख्यालय को प्रेषित किया जाएगा। यदि यह पाया जाता है कि कोचिंग संस्था बार-बार फ़ैकल्टी परिवर्तन कर रही है तो ऐसी स्थिति में अनुबंध निरस्त कर अन्य उपयुक्त कोचिंग संस्था को कार्य आबंटित कर दिया जाएगा।

(ब) **शैक्षणिक गतिविधियां:-** कोचिंग फर्म के फ़ैकल्टी का दायित्व होगा कि वे विद्यार्थियों के बोर्ड परीक्षा/प्रतियोगी परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने हेतु तैयार करें। विद्यार्थीवार प्रगति का विश्लेषण कर कार्ययोजना बनानी होगी एवं विद्यार्थीवार प्रगति का विवरण रखना अनिवार्य होगा। प्रत्येक शिक्षक प्रारंभ से ही प्रतिदिन का लेशन प्लान तथा शिक्षक डायरी बनायेंगे तथा संस्था के प्राचार्य से उनका अनुमोदन करायेंगे। विद्यार्थियों को इस प्रकार से तैयार किया जाये कि उनके क्रिटिकल थिंकिंग, रचनात्मकता, विश्लेषणात्मकता, तार्किक क्षमता में वृद्धि हो। हिन्दी, अंग्रेजी के भाषा में निपुण हो तथा संप्रेषण क्षमता उत्कृष्ट स्तर का हो। विद्यार्थियों को बोर्ड परीक्षा तथा प्रतियोगी परीक्षाओं के पाठ्यक्रम के स्तर से साथ-साथ अध्यापन एवं कोचिंग कराया जायेगा तथा इनका साप्ताहिक, मासिक, त्रैमासिक, छःमाही, प्री-बोर्ड एवं फाइनल परीक्षा

आयोजित कर उनका मूल्यांकन किया जायेगा। प्रत्येक फैकल्टी का दायित्व होगा कि वह साप्ताहिक एवं मासिक मूल्यांकन के आधार पर उत्कृष्ट, मध्यम एवं कमजोर बच्चों का वर्गीकरण करें तथा मध्यम एवं कमजोर बच्चों के 'उपर विशेष कार्य करते हुये उन्हें उत्कृष्ट स्तर पर लाना अनिवार्य होगा अन्यथा कोचिंग संस्था के भुगतान में कटौती की जायेगी। प्रत्येक फैकल्टी को यह रिकार्ड रखना होगा कि अमुक विद्यार्थी किस विषय में एवं किन कारणों से कमजोर है तथा फैकल्टी द्वारा इस संबंध में क्या कार्ययोजना बनाई गई है का विद्यार्थीवार पूर्ण विवरण प्रशासकीय अधिकारी को प्रतिमाह सबमिट करना होगा तथा कोचिंग संस्था के संचालक की उपस्थिति में सभी फैकल्टी की समीक्षा प्रत्येक माह के 05 तारीख तक सहायक आयुक्त की अध्यक्षता में की जाएगी। समीक्षा पश्चात् जिला कलेक्टर को इसकी रिपोर्ट प्रत्येक माह की 10 तारीख तक भेजी जाएगी।

कोचिंग संस्था को विद्यार्थियों के लिए स्टडी मटेरियल मूल्यांकन हेतु टेस्ट पेपर, मॉक टेस्ट/प्रैक्टिस पेपर एवं ऑन-लाइन प्रिंटिंग एवं अवलोकन टेस्ट लिया जा कर मूल्यांकन सुविधा उपलब्ध कराना होगा।

मध्यम एवं कमजोर बच्चों के शैक्षणिक प्रगति सुधारने हेतु ठोस कार्ययोजना बनाई जायेगी एवं इसका क्रियान्वयन किया जायेगा। विद्यार्थियों की प्रगति में सुधार न होने पर कोचिंग संस्था एवं प्रशासकीय अधिकारी संयुक्त रूप से जिम्मेदार होंगे।

(स) विद्यार्थियों को पूर्व वर्ष के प्रश्नपत्रों के आधार पर तैयारी कराया जाना :-

- i. अखिल भारतीय स्तर की कोचिंग के लिए प्रत्येक विषय में चैप्टर वाईस (कक्षा 9वी, 10वी) के विगत 05 वर्षों के प्रश्न-पत्रों (जैसे गणित, विज्ञान, ओलम्पीयाड, विज्ञान पहेली, राष्ट्रीय प्रतिभा खोज इत्यादि) परीक्षाओं के प्रश्न निकालकर उसके आधार पर अंतिम परीक्षा पूर्व न्यूनतम 10 मॉक टेस्ट लेना अनिवार्य होगा। मॉक टेस्ट का मूल्यांकन कर विद्यार्थियों के कमियों को दूर किया जायेगा। इस संबंध में विभागीय अधिकारी आवश्यक सुझाव भी दे सकेंगे।
- ii. अखिल भारतीय स्तर की कोचिंग के लिए प्रत्येक विषय में चैप्टर वाईस (कक्षा 11वी, 12वी) के विगत 05 वर्षों के प्रश्न-पत्रों (जैसे गणित, विज्ञान, जेईई मेन्स/एडवांस, नीट, सीए, सीएस, सीएमए, क्लैट, एनडीए इत्यादि) परीक्षाओं के प्रश्न निकालकर उसके आधार पर अंतिम परीक्षा पूर्व न्यूनतम 10 मॉक टेस्ट लेना अनिवार्य होगा। मॉक टेस्ट का मूल्यांकन कर विद्यार्थियों के कमियों को दूर किया जायेगा। इस संबंध में विभागीय अधिकारी आवश्यक सुझाव भी दे सकेंगे।

(द) मनोवैज्ञानिक/कैरियर काउन्सलर का दायित्व :-

प्रयास आवासीय विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों को जीवन निर्माण हेतु काफी परिश्रम करना पड़ता है परिणामस्वरूप विद्यार्थी कभी-कभी तनावग्रस्त होते रहते हैं तथा मनोबल भी गिरता है। ऐसी स्थिति में मनोवैज्ञानिक के रूप में कर्तव्य होगा कि वह प्रत्येक दिन कक्षाओं में जायें तथा विद्यार्थियों से सामान्य चर्चा कर उनकी मनोदशा का अध्ययन करें। तनावग्रस्त एवं कमजोर मनोबल वाले विद्यार्थी पाये जाने पर नियमित काउंसलिंग करें तथा इन्हे इस स्थिति से बाहर लायें। इस प्रकार काउंसलिंग किये गये बच्चों की जानकारी दिनांकवार एक पंजी में दर्ज करें, जिसमें बच्चों की समस्या तथा उसके निराकरण की जानकारी उपलब्ध हो। इसके अतिरिक्त प्रतिसप्ताह कैरियर से संबंधित समाचार पत्रों, रोजगार नियोजन, रोजगार समाचार के माध्यम से प्राप्त होने वाले महत्वपूर्ण रोजगार सूचनाओं को सूचना पटल पर प्रदर्शित करें तथा साप्ताहिक विभिन्न कैरियर के अवसरों की जानकारी हेतु कक्षा भी लेवें।

(ई) प्रोजेक्ट इन्चार्ज/समन्वयक का दायित्व :-

प्रयास संस्था हेतु कोचिंग फर्म द्वारा नियुक्त प्रोजेक्ट इन्चार्ज का दायित्व होगा कि वह प्रयास स्कूल में सभी शिक्षकों एवं प्रशासकीय अधिकारी के साथ समन्वय स्थापित करें। शिक्षक की उपलब्धता, निरंतर शाला में बनी रहें, शिक्षक अनुपस्थित न रहें। शिक्षकों का समय पर वेतन प्राप्त होता रहें इस हेतु वह निरंतर कोचिंग संस्था के संचालक से बात कर प्रतिमाह भुगतान कराये। काचिंग संस्था द्वारा दी जा रही स्टडी मटेरियल एवं अन्य सुविधाएं स्कूल में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। इनका दायित्व होगा कि सभी विद्यार्थी जो जिस स्ट्रीम के हैं, उनसे संबंधित स्ट्रीम के राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं का फार्म भरवाना, परीक्षा में शामिल कराना, उपस्थित शिक्षकों द्वारा लिये गये परीक्षा में विद्यार्थियों की उपस्थिति तथा परफारमेन्स तथा प्रतिमाह प्रश्नपत्र आदि की उपलब्धता तथा इसका सत्यापन प्रशासकीय अधिकारी से कराना।

(फ) परीक्षा पश्चात् अन्य सहायता :-

कोचिंग संस्था का दायित्व होगा कि बोर्ड परीक्षा/प्रतियोगी परीक्षा समाप्ति पश्चात् भी परीक्षा परिणाम के संबंध में विद्यार्थियों को एवं विभाग को सूचना देना, जानकारी देने का कार्य करेंगे। किसी कक्षा के वार्षिक परीक्षा पश्चात् विद्यार्थियों के अगले कक्षा के पाठ्यक्रमों का मूलभूत परिचय, व्यक्तित्व विकास, इंग्लिश स्पीकिंग, विज्ञान मॉडल निर्माण जैसे रचनात्मक कार्यों का प्रशिक्षण देने हेतु उस वर्ष के अनुबंध अवधि तक के लिए प्रशासकीय अधिकारी एवं सहायक आयुक्त के साथ मिलकर कार्य योजना बनाकर क्रियान्वित करायेंगे तथा बनाए गए कार्ययोजना एवं क्रियान्वयन की उपलब्धि से मुख्यालय को पूर्ण विवरण के साथ अवगत करायेंगे।

(य) फैकल्टी के लिये आचार संहिता :-

शिक्षण तथा कोचिंग कार्य में नियोजित शिक्षकों को विद्यालय के गरिमा के अनुरूप अनुशासन, आचरण एवं व्यवहार रखना होगा। विषय शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों को प्राप्त कानूनी अधिकार एवं हित का उल्लंघन किये जाने पर कानूनी कार्यवाही की जाएगी। इस संबंध में विषय शिक्षक उपलब्ध कराने के पूर्व शिक्षक के संबंध में संपूर्ण जांच करने की जिम्मेदारी तथा इन तथ्यों से पूर्णतः अवगत कराने का दायित्व संबंधित कोचिंग संस्था की होगी। विद्यालय के लिए नियुक्त शिक्षक/फैकल्टी किसी अन्य कोचिंग या निजी कोचिंग में संलग्न नहीं किये जाएंगे। शिक्षक विद्यालय के लिए पूर्ण समर्पण भाव से कार्य करेंगे।

16. फैकल्टी के लिए आवासीय सुविधा:-

कोचिंग संस्था को फैकल्टी के लिए विद्यालय के बाहर यथा संभव समीप में आवासीय सुविधा उपलब्ध कराना होगा।

(अ) संकटकालीन स्थिति में शिक्षा व्यवस्थाएं:-कोचिंग संस्थाओं को आवश्यकता अनुसार कोविड-19 एवं अन्य उत्पन्न परिस्थितियों को देखते हुए विद्यार्थियों को ऑनलाईन अध्यापन एवं कोचिंग देने की व्यवस्था भी सुनिश्चित करनी होगी। इसके लिए कोई अतिरिक्त राशि देय नहीं होगा।

(ब) दस्तावेजों का सत्यापन:-प्रस्ताव में संलग्न प्रमाण-पत्रों/दस्तावेजों की सत्यता का दायित्व संबंधित कोचिंग संस्था का होगा। इस हेतु ओरिजनल नोटराईज्ड शपथ पत्र संस्था द्वारा प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(स) फैकल्टी द्वारा अध्यापन हेतु प्रतिदिन की अवधि:- शिक्षक को प्रतिदिन न्यूनतम 08 घंटे का अध्यापन एवं अध्यापन से संबंधित अन्य कार्य करना होगा इसके अंतर्गत प्रतिदिन पाठ्यक्रम की योजना तैयार करना, टीचर डायरी तैयार करना, विद्यार्थियों को दिये गये होमवर्क की जांच करना, कक्षा अध्यापन करना, डाउट क्लास लेना तथा कमजोर बच्चों के

लिये विशेष कक्षाएं लेना तथा मूल्यांकन किया जाना शामिल है। इसके अतिरिक्त प्राचार्य/प्रशासकीय अधिकारी द्वारा सौंपे गये अन्य कार्य करना शामिल होगा।

17. कोचिंग संस्था को भुगतान का तरीका:-

(अ) भुगतान हेतु निम्नानुसार मानक प्रक्रिया निर्धारित की गई है किंतु अपरिहार्य/संकटकालीन स्थिति में इस प्रक्रिया में समिति द्वारा विचार कर विभागाध्यक्ष के अनुमोदन से संशोधित प्रक्रिया तय की जा सकती है, जो सभी को मान्य होगा।

I. सत्र 2026-27 (कक्षा 9वीं) से सत्र 2029-30 (कक्षा 12वीं) तक कुल चार वर्ष के लिए एक समान दर पर कोचिंग संस्थाओं को शर्तों के अधीन अनुबंधित किया जायेगा किन्तु कक्षा 9वीं एवं 10वीं में विद्यार्थियों की प्रगति एवं उपलब्धि के निम्नांकित मूल्यांकन के आधार पर कोचिंग संस्था को कक्षा 11वीं एवं 12वीं में अध्यापन का अवसर प्रदान किया जायेगा :-

(अ) कक्षा-10वीं में बोर्ड परीक्षा में न्यूनतम 10 प्रतिशत विद्यार्थियों का 90 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त किए होना चाहिए।

(ब) कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा में 80 प्रतिशत विद्यार्थियों का न्यूनतम 75 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त किए हों।

(स) कक्षा-10वीं की बोर्ड परीक्षा में कोई भी विद्यार्थी 60 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त नहीं किए होना चाहिए।

(द) प्रतियोगी परीक्षाओं (NTSE स्तर) या विभाग द्वारा तैयार कराये गये प्रश्न पत्रों के आधार पर विद्यार्थियों के मूल्यांकन में कम-से-कम 50 प्रतिशत विद्यार्थी 40 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त किए हों।

(इ) उपरोक्त मूल्यांकन में 02 प्रतिशत कम/अधिक होने पर समिति द्वारा निर्णय लिया जा सकेगा।

(फ) विशेष परिस्थितियों में जिसका उल्लेख करते हुए समिति द्वारा मानकों को शिथिल कर निर्णय लिया जा सकेगा।

II. कुल 04 वर्ष हेतु कक्षा 9वीं से कक्षा 12वीं तक प्रवेशित विद्यार्थी के आधार पर कुल अनुबंधित राशि का 75% राशि का भुगतान चार वर्षों में विभिन्न चरणों में किया जायेगा तथा शेष 25% राशि का भुगतान चार वर्षों में कुल प्रवेशित सीट के आधार पर गणना कर राशि का समायोजन करते हुए प्रोजेक्ट समाप्त होने के पश्चात् कोचिंग संस्थाओं के द्वारा किए गये अध्यापन एवं विद्यार्थियों के बोर्ड परीक्षाओं तथा प्रतियोगी परीक्षाओं में उपलब्धि के आधार पर किया जायेगा।

III. 75% राशि में से अधिकतम 40 प्रतिशत राशि का भुगतान कक्षा 9वीं एवं 10वीं (दो वर्ष) में किया जायेगा तथा अधिकतम 60 प्रतिशत राशि का भुगतान कक्षा 11वीं एवं 12वीं (दो वर्ष) की अवधि में विभिन्न चरणों में किया जायेगा।

IV. कोचिंग संस्था को प्रत्येक 02 माह में उसके द्वारा प्रस्तुत देयक के आधार पर परीक्षण उपरांत तीसरे माह तक भुगतान किये जाने का प्रयास किया जायेगा।

V. अनुबंधित राशि की गणना कक्षावार प्रवेशित विद्यार्थियों की संख्या एवं अनुबंधित दर के आधार पर किया जायेगा।

VI. प्रत्येक भुगतान के पूर्व नियमानुसार समस्त कर एवं कटौतियाँ की जायेंगी।

18. कोचिंग संस्था को विभिन्न चरणों में राशि का भुगतान का तरीका :-

कोचिंग संस्था द्वारा कक्षा 9वीं एवं कक्षा 10वीं हेतु देयक प्रस्तुत करने का प्रक्रिया :- कोचिंग संस्था के छत्तीसगढ़ राज्य में जी.एस.टी.पंजीयन पर अपना देयक ऑनलाईन/ऑफलाईन विभाग जैसा निर्धारित करें की पद्धति में प्रत्येक माह के 05 तारीख तक निम्नांकित अभिलेखों के साथ प्रस्तुत करना होगा -

I. प्रत्येक माह में किए गए फैकल्टी को भुगतान का प्रमाणिक दस्तावेज।

II. माह में कार्यरत रहे फैकल्टी विवरण :-

क्र.	डेमो उपरांत अनुमोदित फैकल्टी का नाम	वास्तविक कार्यरत फैकल्टी का नाम	अध्यापन का विषय	माह में उपस्थित दिन की संख्या	माह में अनुपस्थित दिन की संख्या
1	2	3	4	5	6

टीप:- माह में फैकल्टी का अधिकतम एक दिन अनुपस्थिति/अवकाश मान्य होगा। डेमो से छूट दिया गया है तो छूट की अनुमति संलग्न करना होगा।

III. शैक्षणिक मूल्यांकन में न्यूनतम 10 प्रतिशत विद्यार्थियों का 85 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त विद्यार्थियों की मेरिट क्रम से सूची :-

क्र.	विद्यार्थी का नाम	विषयवार प्राप्तांक (कक्षा के विषयानुसार)					कुल पूर्णांक	कुल प्राप्तांक	प्रतिशत
		हिंदी	अंग्रेजी	संस्कृत	गणित	अन्य विषय जो संचालित हो रहे हों			

IV. शैक्षणिक मूल्यांकन में न्यूनतम 75 प्रतिशत विद्यार्थियों का 70 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त विद्यार्थियों की मेरिट क्रम से सूची :-

क्र.	विद्यार्थी का नाम	विषयवार प्राप्तांक (कक्षा के विषयानुसार)					कुल पूर्णांक	कुल प्राप्तांक	प्रतिशत
		हिंदी	अंग्रेजी	संस्कृत	गणित	अन्य विषय जो संचालित हो रहे हों			

V. शैक्षणिक मूल्यांकन में शेष 15 प्रतिशत विद्यार्थियों का न्यूनतम 60% अंक प्राप्त विद्यार्थियों की मेरिट क्रम से सूची:-

क्र.	विद्यार्थी का नाम	विषयवार प्राप्तांक (कक्षा के विषयानुसार)					कुल पूर्णांक	कुल प्राप्तांक	प्रतिशत
		हिंदी	अंग्रेजी	संस्कृत	गणित	अन्य विषय जो संचालित हो रहे हों			

VI. शैक्षणिक मूल्यांकन में कमजोर विद्यार्थियों (60% से कम) की मेरिटक्रम से सूची:-

क्र.	विद्यार्थी का नाम	विषयवार प्राप्तांक (कक्षा के विषयानुसार)					कुल पूर्णांक	कुल प्राप्तांक	प्रतिशत
		हिंदी	अंग्रेजी	संस्कृत	गणित	अन्य विषय जो संचालित हो रहे हों			

VII. प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टि से ब्राइट विद्यार्थियों (50 प्रतिशत से ऊपर) की मेरिट क्रम में सूची उपरोक्त प्रपत्र में।

VIII. प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टि से मध्यम विद्यार्थियों (40 प्रतिशत से ऊपर एवं 50 प्रतिशत तक) की मेरिट क्रम में सूची उपरोक्त प्रपत्र में।

IX. प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टि से कमजोर विद्यार्थियों (न्यूनतम 30 प्रतिशत से ऊपर एवं 40 प्रतिशत तक) की मेरिट क्रम में सूची उपरोक्त प्रपत्र में।

X. अनुपस्थित फैकल्टी के स्थान पर स्थानापन्न (Substitute) फैकल्टी का विवरण :-

क्र.	अनुपस्थित फैकल्टी का नाम	स्थानापन्न फैकल्टी का विवरण		शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव (EOI) अनुसार
		नाम	अध्यापन विषय	

XI. प्रमाणित कक्षावार टाईम-टेबल जिसमें शिक्षक एवं उसे आबंटित विषय का उल्लेख हो

XII. फैकल्टी के बायोमैट्रिक उपस्थिति का प्रमाणित विवरण ।

XIII. शिक्षक डायरी :-प्रशासकीय अधिकारी द्वारा प्रमाणित संलग्न किया जाए।

XIV. पाठ्य योजना:-प्रशासकीय अधिकारी द्वारा प्रमाणित संलग्न किया जाए कि योजना अनुसार कितने प्रतिशत पूर्ण हुए।

XV. मनोवैज्ञानिक/करियर काउंसलर द्वारा विद्यार्थियों के प्रतिमाह मानसिक परीक्षण कार्य तथा उपलब्धि एवं संधारित पंजी का प्रशासकीय अधिकारी द्वारा प्रमाणीकरण।

XVI. शारीरिक शिक्षक/योग शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों के प्रतिमाह मानसिक परीक्षण कार्य तथा उपलब्धि।

XVII. मानसिक योग्यता परीक्षण अंतर्गत लिए गए पाठ्यक्रम एवं उसमें विद्यार्थियों की उपलब्धि।

XVIII. कोचिंग संस्था द्वारा विद्यार्थियों को प्रदाय किए जाने वाले स्टडी मटेरियल का विवरण निम्नांकित प्रपत्र में प्रस्तुत करना होगा:-

क्र.	स्टडी मटेरियल का विवरण	प्रदाय दिनांक	विद्यार्थी के हस्ताक्षर	प्रशासकीय अधिकारी का हस्ताक्षर

प्रशासकीय अधिकारी/प्राचार्य के हस्ताक्षर

19. कोचिंग संस्था द्वारा कक्षा-11वीं एवं कक्षा-12वीं हेतु देयक प्रस्तुत करने का प्रक्रिया :-

कोचिंग संस्था के छत्तीसगढ़ राज्य में जी.एस.टी.पंजीयन पर अपना देयक ऑनलाईन/ऑफलाईन कलेक्टर जैसा निर्धारित करें की पद्धति में प्रत्येक माह के 05 तारीख तक निम्नांकित अभिलेखों के साथ प्रस्तुत करना होगा -

I. प्रत्येक माह में किए गए फैकल्टी को भुगतान का प्रमाणिक दस्तावेज।

II. माह में कार्यरत रहे फैकल्टी विवरण :-

क्र.	डेमो उपरांत अनुमोदित फैकल्टी का नाम	वास्तविक कार्यरत फैकल्टी का नाम	अध्यापन का विषय	माह में उपस्थित दिन की संख्या	माह में अनुपस्थित दिन की संख्या
1	2	3	4	5	6

टीप:- माह में फैकल्टी का अधिकतम एक दिन अनुपस्थिति/अवकाश मान्य होगा। डेमो से छूट दिया गया है तो छूट की अनुमति संलग्न करना होगा।

III. शैक्षणिक मूल्यांकन में न्यूनतम 10 प्रतिशत विद्यार्थियों का 85 प्रतिशत अंक प्राप्त की मेरिट सूची

क्र.	विद्यार्थी का नाम	विषयवार प्राप्तांक (कक्षा के विषयानुसार)						कुल पूर्णांक	कुल प्राप्तांक	प्रतिशत
		हिंदी	अंग्रेजी	गणित	जीव विज्ञान	रसायन	भौतिकी			

IV. शैक्षणिक मूल्यांकन में 75 प्रतिशत विद्यार्थियों का 70 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त की मेरिट सूची (गणित समूह)-

क्र.	विद्यार्थी का नाम	विषयवार प्राप्तांक (कक्षा के विषयानुसार)			कुल पूर्णांक	कुल प्राप्तांक	प्रतिशत
		गणित	भौतिकी	रसायन			

V. शैक्षणिक मूल्यांकन में 75 प्रतिशत विद्यार्थियों का 70 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त की मेरिट सूची (जीव विज्ञान समूह)–

क्र.	विद्यार्थी का नाम	विषयवार प्राप्तांक (कक्षा के विषयानुसार)			कुल पूर्णांक	कुल प्राप्तांक	प्रतिशत
		जीव विज्ञान	भौतिकी	रसायन			

VI. शैक्षणिक मूल्यांकन में दोनों संकाय के शेष 15 प्रतिशत विद्यार्थियों का न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की मेरिट सूची–

क्र.	विद्यार्थी का नाम	विषयवार प्राप्तांक (कक्षा के विषयानुसार)						कुल पूर्णांक	कुल प्राप्तांक	प्रतिशत
		हिंदी	अंग्रेजी	गणित	जीव विज्ञान	भौतिक	रसायन			

VII. शैक्षणिक मूल्यांकन में दोनों संकाय में पृथक-पृथक न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक से कम प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की मेरिट सूची–

क्र.	विद्यार्थी का नाम	विषयवार प्राप्तांक (कक्षा के विषयानुसार)						कुल पूर्णांक	कुल प्राप्तांक	प्रतिशत
		हिंदी	अंग्रेजी	गणित	जीव विज्ञान	भौतिक	रसायन			

VIII. प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टि से ब्राइट विद्यार्थियों (न्यूनतम 50 प्रतिशत से उपर) की मेरिट क्रम में सूची उपरोक्त प्रपत्र में।

IX. प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टि से मध्यम विद्यार्थियों (न्यूनतम 40 प्रतिशत से उपर एवं 50 प्रतिशत तक) की मेरिट क्रम में सूची उपरोक्त प्रपत्र में।

X. प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टि से कमजोर विद्यार्थियों (न्यूनतम 30 प्रतिशत से उपर एवं 40 प्रतिशत तक) की मेरिट क्रम में सूची उपरोक्त प्रपत्र में।

XI. विचाराधीन माह में अनुपस्थित फैकल्टी के स्थान पर स्थानापन्न (Substitute) फैकल्टी का विवरण :-

क्र.	अनुपस्थित फैकल्टी का नाम	स्थानापन्न फैकल्टी का विवरण		शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव (EOI) अनुसार
		नाम	अध्यापन विषय	

XII. शिक्षक डायरी :- प्रशासकीय अधिकारी द्वारा प्रमाणित संलग्न किया जाए।

XIII. पाठ योजना :- प्रशासकीय अधिकारी द्वारा प्रमाणित संलग्न किया जाए।

XIV. मनोवैज्ञानिक/करियर काउंसलर द्वारा विद्यार्थियों का मानसिक स्वास्थ्य परीक्षण कार्य तथा फालोअप का विवरण।

XV. शारीरिक शिक्षक/योग शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों के प्रतिमाह कराई गई गतिविधियों का विवरण (NDA विद्यार्थियों के विशेष संदर्भ में)

XVI. NDA विद्यार्थियों के मानसिक योग्यता परीक्षण अंतर्गत लिए गए पाठ्यक्रम एवं उसमें विद्यार्थियों की उपलब्धि।

XVII. प्रयास आवासीय विद्यालयों में विद्यार्थियों के वैज्ञानिक सोच एवं विज्ञान के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने हेतु विज्ञान क्लब, विज्ञान दिवस, वैज्ञानिकों के जन्मदिवस मनाये जाने का विवरण।

20. मानकों के अनुरूप कार्य नहीं होने पर कटौतियाँ :-

- I. फैंकल्टी के अनुपस्थित रहने पर स्थानापन्न फैंकल्टी की व्यवस्था होने तक प्रत्येक अनुपस्थित फैंकल्टी के लिए कक्षा 9वीं एवं 10वीं के लिए प्रति दिवस 3000/- के मान से कटौती की जाएगी।
- II. कक्षा 11वीं एवं 12वीं के लिए अनुपस्थित फैंकल्टी के लिए प्रति दिवस 5000/- के मान से कटौती की जाएगी। अनुपस्थित फैंकल्टी के स्थान पर (Substitute) फैंकल्टी तभी मान्य किया जाएगा जब फैंकल्टी किसी वैध कारणों से अनुपस्थित रहा हो। 03 दिन से अधिक अनुपस्थित रहने पर वैध कारणों का प्रमाणित दस्तावेज के साथ मुख्यालय से अनुमति प्राप्त करनी होगी।
- III. Substitute फैंकल्टी EOI में उल्लेखित योग्यता अनुसार उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। किसी भी परिस्थिति में पैनल में उपलब्ध कराये गये फैंकल्टी के बाहर फैंकल्टी उपलब्ध कराने पर प्रतिमाह प्रति Substitute फैंकल्टी के मान से 20,000/- पेनाल्टी कटौती की जाएगी। यदि 01 माह से अधिक फैंकल्टी उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो, अनुबंध निरस्त करने की कार्यवाही पर विचार किया जावेगा।
- IV. कोचिंग संस्था द्वारा उपलब्ध कराये गये फैंकल्टी के पैनल सूची में से Substitute उपलब्ध कराने पर कोई कटौती नहीं होगी।
- V. स्थानीय परीक्षा/बोर्ड परीक्षा का मासिक आधार पर मूल्यांकन में कम से कम 10 प्रतिशत विद्यार्थियों का 85 प्रतिशत से अधिक अंक हो तथा न्यूनतम 75 प्रतिशत विद्यार्थियों का 70 प्रतिशत से अधिक अंक न पाये जाने पर तथा शेष विद्यार्थियों अर्थात् 15 प्रतिशत का 60 प्रतिशत से कम अंक होने पर प्रतिमाहदेयक से 10 प्रतिशत कटौती की जायेगी।
- VI. प्रतियोगी परीक्षाओं के पैटर्न पर मासिक मूल्यांकन में न्यूनतम 10 प्रतिशत विद्यार्थी 50 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त न करने पर तथा न्यूनतम 50 प्रतिशत विद्यार्थियों का प्राप्तांक 30 प्रतिशत से कम होने पर 10 प्रतिशत कटौती की जायेगी।
- VII. प्रतिमाह की कार्ययोजना अनुसार माह की पाठ्य योजना पूर्ण नहीं करने पर 10 प्रतिशत राशि का कटौती की जायेगी।
- VIII. EOI अनुसार अनुमोदित पाठ्य सामग्री (स्टडीय मटेरियल) उपलब्ध नहीं कराने पर 20 प्रतिशत की राशि प्रतिमाह के बिल से कटौती की जायेगी।
- XI. सामान्यतः उपरोक्त आधार पर गणना कर राशियों की कटौती उपरांत राशि का भुगतान किया जाएगा किन्तु कोचिंग संस्था द्वारा जिम्मेदारी से कार्य न किए जाने पर कलेक्टर द्वारा अन्य पेनाल्टी भी अधिरोपित की जा सकेगी।
- X. कटौतियाँ/पेनाल्टी मासिक आधार पर उपस्थिति/अनुपस्थिति के आधार पर की जायेंगी।

21. देयकों का परीक्षण एवं भुगतान—

कोचिंग संस्थाओं/फर्म द्वारा प्रत्येक माह के 05 तारीख तक आवश्यक अभिलेखों के साथ देयक प्रशासकीय अधिकारी को प्रस्तुत किए जाएंगे। प्रशासकीय अधिकारी द्वारा कोचिंग संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत किए गए अभिलेखों का विद्यालय में संधारित पंजियों एवं अभिलेखों जिसे प्रतिदिन/प्रतिमाह जैसी स्थिति हो को प्रशासकीय अधिकारी द्वारा जांच किया जाकर प्रमाणित किया जाने का दायित्व है से मिलान कर देयकों का परीक्षण 03 दिवस में करेंगे तथा सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास एक सप्ताह के भीतर परीक्षण उपरांत सक्षम प्राधिकारी जिला कलेक्टर को स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करेंगे। स्वीकृति उपरांत भुगतान की कार्यवाही यथा संभव अधिकतम 15 दिवस में किया जाएगा।

21.(अ) शेष 25 प्रतिशत राशि का भुगतान —

शेष 25 प्रतिशत राशि का भुगतान कोचिंग फर्म द्वारा कराये गये अध्यापन के फलस्वरूप कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के निम्नानुसार परिणाम के आधार पर किया जायेगा :-

क्रमांक	विवरण	न्यूनतम उपलब्धि
1	कक्षा 10वीं एवं कक्षा 12वीं में कम से कम 05 प्रतिशत विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम	95 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त किए हों
2	कक्षा 10वीं एवं कक्षा 12वीं में कम से कम 90 प्रतिशत विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम	कम से कम 80 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त किए हों
3	IIT या समकक्ष की अंतिम प्रतियोगी परीक्षा उपरांत B.Tech पाठ्यक्रम में चयन उपरांत संस्थान में प्रवेश	न्यूनतम 10 प्रतिशत
4	NIT या समकक्ष की अंतिम प्रतियोगी परीक्षा B.Tech पाठ्यक्रम में चयन उपरांत संस्थान में प्रवेश	न्यूनतम 20 प्रतिशत
5	IIIT या समकक्ष की अंतिम प्रतियोगी परीक्षा B.Tech पाठ्यक्रम में चयन उपरांत संस्थान में प्रवेश	न्यूनतम 10 प्रतिशत
6	NEET मेडिकल प्रवेश परीक्षा द्वारा MBBS पाठ्यक्रम हेतु चयन उपरांत संस्थान में प्रवेश	न्यूनतम 20 प्रतिशत
7	CA, CS, CMA, ICWA, CLAT, BANKING पाठ्यक्रम में अंतिम उत्तीर्ण/चयन	न्यूनतम 10 प्रतिशत

टीपः— गणित समूह के विद्यालय हेतु 1,2,3,4,5 प्रभावशील होगा। जीवविज्ञान समूह हेतु 1,2,5 प्रभावशील होगा, वाणिज्य एवं कला समूह हेतु 1,2,6 प्रभावशील होगा।

21.(ब) उपरोक्त अनुसार कोचिंग फर्म द्वारा परीक्षा परिणाम प्राप्त किए जाने पर अनुबंध समाप्ति तथा विद्यार्थियों के बोर्ड परीक्षा एवं प्रतियोगी परीक्षाओं के परिणाम प्राप्त होने के 15 दिवस के अंदर कोचिंग संस्था को निम्नांकित दस्तावेज प्रमाणित कर प्रशासकीय अधिकारी के समक्ष देयक के साथ प्रस्तुत करना होगा :—

- पूर्व में किये गये भुगतान का जी.एस.टी. जमा करने का प्रमाण पत्र तथा समस्त करों का विवरण।
- कोचिंग कार्य करने हेतु नियोजित शिक्षकों को कोचिंग संस्था/फर्म के खाते से शिक्षकों/फैकल्टी के बैंक खातों में उनके लिए तय पारिश्रमिक की राशि जमा कर दिये जाने के प्रमाण स्वरूप बैंक स्टेटमेंट/प्रमाण-पत्र।
- मासिक, त्रैमासिक, छःमाही, प्री-बोर्ड एवं अंतिम बोर्ड परीक्षा परिणाम।
- प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थीवार मूल्यांकन, प्रतियोगी परीक्षाओं में अंतिम रूप से चयन एवं प्रवेश होने के प्रमाण स्वरूप प्रवेशित संस्थान का जारी प्रमाण पत्र।
- शिक्षकों की उपस्थिति, शिक्षक डायरी, लेसन प्लान आदि।

21.(स) प्रशासकीय अधिकारी द्वारा कोचिंग संस्थाओं से प्राप्त अंतिम देयक एवं संलग्न प्रमाणित अभिलेखों को 15 दिवस में परीक्षण एवं जांच उपरांत प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर परीक्षण रिपोर्ट सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास को प्रस्तुत किया जायेगा। सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास द्वारा परीक्षण उपरांत अनुसंधान सहित प्रस्ताव 15 दिवस में **जिला कलेक्टर** को उपलब्ध कराया जायेगा।

21.(द) जिला कलेक्टर में प्रस्ताव प्राप्त होने के पश्चात् जिला स्तरीय गठित परीक्षण समिति द्वारा परीक्षण उपरांत समिति के अनुसंधान के आधार पर अंतिम भुगतान किया जायेगा। किन्हीं विशेष परिस्थितियों जैसे कोविड-19 आदि के कारण उक्त अवधि में अपेक्षित परिणाम प्राप्त न होने पर सम्पूर्ण परीक्षा परिणाम का तुलनात्मक विश्लेषण कर अनुपातिक कटौति का निर्णय ले सकेगी।

22 अनुबंध की सामान्य शर्तें —

- अनुबंध की व्याख्या भारत में लागू कानून अनुसार होगी।

- (ii) अनुबंध की अवधि “रूचि की अभिव्यक्ति” में दर्शित तथा अनुबंध अनुसार अनुबंध की अवधि लागू होगी।
- (iii) रूचि की अभिव्यक्ति में दर्शाए अनुसार अवधि में कार्य पूर्ण करना होगा।
- (iv) **Sublet पर प्रतिबंध :-** कोचिंग संस्था द्वारा किसी अन्य को कार्य Sublet किया जाना पाया जाता है, तो अनुबंध निरस्त कर दिया जावेगा।
- (v) **करों की कटौती:-** इसके संबंध में सेवा संबंधी कार्यों के लिए भारत शासन द्वारा लागू टैक्स के नियम अनुसार राशि जमा करनी होगी। इसी प्रकार आयकर संबंधी नियम अंतर्गत आयकर के स्त्रोत (TDS) का नियमानुसार कटौती की जायेगी। इसके अतिरिक्त अन्य जो कर लागू है उनकी भी कटौती की जा सकेगी।
- (vi) **अनुबंध का समाप्त किया जाना :-** शर्तों के उल्लंघन के आधार पर 15 दिवस के नोटिस पर अनुबंध समाप्त की जा सकेगी। इसी प्रकार फर्म के दिवालिया होने पर भी अनुबंध समाप्त की जा सकेगी तथा नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी तथा शासन/विभाग को भी हानि की भरपाई कोचिंग फर्म के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर पूर्ण की जावेगी।
- (vii) **योजना का नियंत्रण संचालन एवं समीक्षा :-** योजना का क्रियान्वयन जिला कलेक्टर के अधीन सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास द्वारा किया जायेगा तथा प्रयास स्कूल स्तर पर प्रशासकीय अधिकारी/प्राचार्य के नियंत्रण में कोचिंग फर्मों को कार्य करना होगा। इसके अतिरिक्त राज्य स्तर पर कोचिंग फर्म द्वारा किये जा रहे कार्यों की गुणवत्ता, कार्ययोजना अनुसार कार्य तथा उपलब्धि की समीक्षा की जायेगी। समीक्षा में पाई गई कमियों का निराकरण करना होगा अन्यथा नोटिस देकर अनुबंध समाप्त किया जा सकेगा एवं विधिक कार्यवाही की जायेगी।
- (viii) **प्रचार-प्रसार :-** कोचिंग फर्म को इस योजना के अंतर्गत सार्वजनिक रूप से किसी प्रकार की घोषणा व जानकारी देने का अधिकार नहीं होगा।
- (ix) **विवाद की स्थिति में निपटारे की प्रक्रिया :-** संस्था से संबंधित कोई भी विवाद की स्थिति निर्मित होने पर प्रशासकीय विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास विभाग, महानदी भवन, मंत्रालय नवा रायपुर, अटल नगर का निर्णय अंतिम होगा। संस्था/कोचिंग एजेंसी आदि के चयन के विरुद्ध अपील पर प्रशासकीय विभाग द्वारा ऐसी किसी भी याचिका के प्राप्त होने के 07 दिवस के भीतर सुनवाई की जायेगी। किसी भी कानूनी मामले का क्षेत्राधिकार केवल छत्तीसगढ़ में ही होगा।
- (x) **संकटकालीन स्थिति में :-** कोरोना वैश्विक महामारी कोविड-19 के संक्रमण या अन्य संकटकालीन स्थिति के संदर्भ में आवश्यकता अनुसार ऑनलाईन प्रशिक्षण एवं मूल्यांकन की व्यवस्था करनी होगी। विद्यार्थियों के ऑनलाईन उपस्थिति एवं शैक्षणिक मूल्यांकन के आधार पर भुगतान किया जायेगा। ऑनलाईन शिक्षण के लिए पृथक से किसी प्रकार की कोई राशि देय नहीं होगी।
- (xi) **अनुशासनात्मक कार्यवाही :-** प्रयास आवासीय विद्यालयों हेतु चयनित कोचिंग संस्थाओं के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही विभागाध्यक्ष एवं संबंधित जिला कलेक्टर कर सकेंगे।
- (xii) **असामान्य परिस्थितियों के अंतर्गत :-** कोविड या असामान्य परिस्थितियों के अंतर्गत विगत वर्ष में अध्यापन/कोचिंग प्रदान कर रही कोचिंग संस्था को उपलब्धि के आधार पर **जिला कलेक्टर** नवीनीकरण प्रदान करने हेतु सक्षम होंगे।
- (xiii) मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा अंतर्गत संचालित प्रयास आवासीय विद्यालय के संचालन हेतु नियमावली में उल्लेख कंडिकाओं के अनुसार तथा प्रकाशित “रूचि की अभिव्यक्ति” में उल्लेखित नियम एवं शर्तों के अधीन होगा।


- (xiv) विगत 02 वर्षों में लगातार किसी फर्म द्वारा प्रयास आवासीय विद्यालयों में अध्यापन सह कोचिंग देने के पश्चात् इन दोनो वर्षों में NIT, IIT, MBBS, CLAT, CA, CS, CMA, ICWA में एक भी विद्यार्थी का चयन नहीं की स्थिति में संबंधित फर्म/संस्था को संबंधित विद्यालय के “रूचि की अभिव्यक्ति” (EOI) प्रक्रिया में अपात्र घोषित किया जायेगा।
- (xv) संस्था से संबंधित कोई भी विवाद की स्थिति निर्मित होने पर प्रशासकीय विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास विभाग, महानदी भवन, मंत्रालय नवा रायपुर, अटल नगर का निर्णय अंतिम होगा।
- (xvi) जिला कलेक्टर से प्राप्त मेरिट क्रम सूची अनुसार आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास द्वारा छ.ग. राज्य में संचालित प्रयास आवासीय विद्यालयों में एक शैक्षणिक वर्ष में एक संस्था/फर्म को 02 से ज्यादा कार्य आबंटित न हो इस हेतु परीक्षण किया जायेगा। परीक्षण में पाया जाता है कि 01 संस्था/फर्म जो H1 है एवं 02 से ज्यादा कार्य आबंटित हो रहा हो तो मेरिट क्रम H2, H3, H4 क्रमशः के चयन हेतु मार्गदर्शन दिया जायेगा। सर्वप्रथम जिन 02 जिलो द्वारा EOI की कार्यवाही पूर्ण कर ली जावेगी। उक्त जिलो को छोड़कर शेष जिलो में लागू होगा। विशेष परिस्थितियों में एक शैक्षणिक वर्ष में एक संस्था/फर्म को 02 से ज्यादा कार्य आबंटित करने हेतु विभागाध्यक्ष सक्षम होंगे।
- (xvii) प्रशासकीय विभाग को निविदा में से किसी भी बिन्दु में छूट देने और छात्रों के हित, पारदर्शी प्रणाली और विभाग के सर्वोत्तम हित में उचित समझे जाने वाले बिन्दु को जोड़ने का विवेकाधिकार होगा।

23. रूचि की अभिव्यक्ति का निरस्तीकरण :-

किसी भी अपरिहार्य स्थिति में सक्षम प्राधिकारी कलेक्टर द्वारा “रूचि की अभिव्यक्ति” की तिथि में वृद्धि की जा सकेगी या आवश्यकता पड़ने पर निरस्त किया जा सकेगा। इस पर किसी भी प्रकार का अभ्योवदन स्वीकार्य नहीं किया जायेगा।

24. “रूचि की अभिव्यक्ति” के कंडिकाओं की व्याख्या का अधिकार :-

“रूचि की अभिव्यक्ति” के किसी भी कंडिका के संबंध में व्याख्या/संशोधन का अधिकार आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास को निहित होगा।


 सहायक आयुक्त,
 आदिवासी विकास बीजापुर

विभाग द्वारा संचालित प्रयास आवासीय विद्यालयों के कक्षा 9वीं, 10वीं तथा 11वीं, 12वीं में अध्यापन एवं कोचिंग कार्य हेतु फेकल्टी की व्यवस्था के लिए पंजीकृत कोचिंग संस्थाओं से ऑनलाईन “रूचि की अभिव्यक्ति” का आमंत्रण
(वर्ष 2026–27)

(रूचि की अभिव्यक्ति की सूचना क्रमांक 477 दिनांक 12.06.2026 के संदर्भ में)

कोचिंग संस्था द्वारा किस-किस विद्यालय के लिए आवेदन किया गया है।

प्रयास आवासीय विद्यालय का नाम:— प्रयास कन्या/बालक आवासीय विद्यालय बीजापुर

भाग—एक (प्रथम लिफाफा)

(कोचिंग संस्था के लिए न्यूनतम अर्हता संबंधी अभिलेख)

क्र.	विवरण (संबंधित अभिलेख संलग्न/अपलोड किया जावे)																			
1.	<p>आवेदन करने वाली कोचिंग संस्था का भारत सरकार या छत्तीसगढ़ शासन के अधीन निम्नांकित प्रकार के फर्म अंतर्गत पंजीकृत होना चाहिए।</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>क्र.</th><th>फर्म का प्रकार</th><th>पंजीयन</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>पार्टनरशिप फर्म</td><td>रजिस्ट्रार फर्म द्वारा जारी प्रमाण-पत्र</td></tr> <tr> <td>2</td><td>कम्पनी एक्ट/LLP</td><td>रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी अंतर्गत पंजीयन</td></tr> <tr> <td>3</td><td>ट्रस्ट</td><td>राजिस्ट्रार द्वारा जारी ट्रस्ट के पंजीयन संबंधी दस्तावेज</td></tr> <tr> <td>4</td><td>सोसायटी</td><td>राजिस्ट्रार ऑफ सोसायटी अधिनियम-1860 का पंजीयन</td></tr> <tr> <td>5</td><td>प्रोपराईटरशिप फर्म</td><td>गुमाश्ता एक्ट अंतर्गत पंजीकृत</td></tr> </tbody> </table> <p>संस्था का पंजीयन 01.04.2025 से न्यूनतम 03 वर्ष पूर्व का होना चाहिए। पंजीयन गलत प्राप्त होने अथवा शिकायत प्राप्त होने पर संस्था के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाएगी।</p> <p>टीप:- मूल फर्म आवेदन कर सकेंगी, Franchise मान्य नहीं होगा।</p>		क्र.	फर्म का प्रकार	पंजीयन	1	पार्टनरशिप फर्म	रजिस्ट्रार फर्म द्वारा जारी प्रमाण-पत्र	2	कम्पनी एक्ट/LLP	रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी अंतर्गत पंजीयन	3	ट्रस्ट	राजिस्ट्रार द्वारा जारी ट्रस्ट के पंजीयन संबंधी दस्तावेज	4	सोसायटी	राजिस्ट्रार ऑफ सोसायटी अधिनियम-1860 का पंजीयन	5	प्रोपराईटरशिप फर्म	गुमाश्ता एक्ट अंतर्गत पंजीकृत
क्र.	फर्म का प्रकार	पंजीयन																		
1	पार्टनरशिप फर्म	रजिस्ट्रार फर्म द्वारा जारी प्रमाण-पत्र																		
2	कम्पनी एक्ट/LLP	रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी अंतर्गत पंजीयन																		
3	ट्रस्ट	राजिस्ट्रार द्वारा जारी ट्रस्ट के पंजीयन संबंधी दस्तावेज																		
4	सोसायटी	राजिस्ट्रार ऑफ सोसायटी अधिनियम-1860 का पंजीयन																		
5	प्रोपराईटरशिप फर्म	गुमाश्ता एक्ट अंतर्गत पंजीकृत																		
2.	<p>फर्म का पेन (PAN) पंजीयन अनिवार्यतः होना चाहिए तथा इसका प्रमाण पत्र संलग्न किया जाए। यदि टैक्स में छूट प्रदान किया गया है तो संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें। कार्य मिलने पर छत्तीसगढ़ राज्य के GST Number से बिलिंग की जावेगी।</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>क्र.</th><th>दस्तावेज</th><th>विवरण</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>पेन</td><td>PAN प्रमाण पत्र संलग्न करें।</td></tr> <tr> <td>2</td><td>जीएसटी नंबर</td><td>GST प्रमाण पत्र संलग्न करें। यदि फर्म के पास छत्तीसगढ़ में GST पंजीयन प्रमाण पत्र उपलब्ध हो संलग्न करें।</td></tr> </tbody> </table> <p>टीप :-</p> <p>1. ऐसी संस्था जो रूचि की अभिव्यक्ति में भाग ले रहे है एवं छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर के है उन्हे छत्तीसगढ़ में जीएसटी (GST) पंजीयन प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा, तत्पश्चात् ही कार्यदेश जारी किया जावेगा।</p> <p>2. पेन एवं जीएसटी नंबर आवेदक के नाम से होना चाहिए।</p>		क्र.	दस्तावेज	विवरण	1	पेन	PAN प्रमाण पत्र संलग्न करें।	2	जीएसटी नंबर	GST प्रमाण पत्र संलग्न करें। यदि फर्म के पास छत्तीसगढ़ में GST पंजीयन प्रमाण पत्र उपलब्ध हो संलग्न करें।									
क्र.	दस्तावेज	विवरण																		
1	पेन	PAN प्रमाण पत्र संलग्न करें।																		
2	जीएसटी नंबर	GST प्रमाण पत्र संलग्न करें। यदि फर्म के पास छत्तीसगढ़ में GST पंजीयन प्रमाण पत्र उपलब्ध हो संलग्न करें।																		

3.

(I) कोचिंग फर्म का प्रतियोगी परीक्षाओं संबंधी कोचिंग कार्यों का **विगत 03 वर्षों 2022-23, 2023-24 एवं 2024-25** का **औसत टर्न ओव्हर रु. 100.00 लाख** से कम नहीं होना चाहिए। टर्न ओव्हर में फर्म द्वारा संचालित अन्य गतिविधियों/व्यापारिक प्रक्रियाओं से प्राप्त आय/संपत्ति को इसमें शामिल न किया जाए।

फर्म को प्रमाण स्वरूप **विगत 3 वर्षों में (2022-23, 2023-24 एवं 2024-25)** का अंकेक्षण प्रतिवेदन (ऑडिट रिपोर्ट), बैलेन्स शीट प्रस्तुत करना होगा। इसके अतिरिक्त चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट का एक प्रमाण पत्र जिसमें **विगत तीनों वर्षों 2022-23, 2023-24 एवं 2024-25** के प्रतियोगी परीक्षाओं संबंधी कार्यों से संबंधित टर्न ओवर का पृथक-पृथक उल्लेख हो।

(II) कोचिंग फर्म का प्रतियोगी परीक्षाओं संबंधी कोचिंग कार्यों के व्यवसाय का **माहमार्च2026** का**GSTRिर्न (GSTR-1 &3B)**का विवरण।

(III) कोचिंग फर्म का **वित्तीय वर्ष 2022-23, 2023-24 एवं 2024-25** का**Income TaxReturn Acknowledgement& Computation**संलग्न करें।

क्र.	दस्तावेज	विवरण
1	टर्न ओव्हर सटिफिकेट	संलग्न प्रारूप अनुसार (परिशिष्ट-EC-5)
2	ऑडिट रिपोर्ट	वित्तीय वर्ष 2022-23, 2023-24 एवं 2024-25 का संलग्न करें।
3	आईटी रिटर्न	वित्तीय वर्ष 2022-23, 2023-24 एवं 2024-25 का संलग्न करें।
4	जीएसटी रिटर्न	माह मार्च 2026 का GST रिटर्न (GSTR-1 &3B)संलग्न करें।

4.

अमानत राशि के रूप में कंडिका-03 में दिये गये विवरण अनुसार प्रत्येक कार्य के लिए निर्धारित राशि ऑनलाईन जमा करना होगा।

5.

भारत देश के अंतर्गत किसी भी राज्य में शासन/लोक उपक्रम/विभाग/एजेंसी अंतर्गत कोचिंग फर्म को **काली सूची** में न डाला हो और न ही कोई कारण बताओं नोटिस जारी किया गया हो और यदि कारण बताओ नोटिस जारी किया गया हो तो उसका निराकरण हो गया हो। पूर्व में सभी शिक्षको के वेतन भुगतान की कोई भी शिकायत लंबित नहीं होनी चाहिए। इस संबंध में संलग्नक **EC-08**के प्रपत्र में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।

6

आवेदक का पी.एफ. तथा ई.एस.आई में रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है।

पी.एफ. तथा ई.एस.आई में रजिस्ट्रेशन की प्रति संलग्न करें।**EC-09**

क्र.	दस्तावेज	विवरण
1	पी.एफ. पंजीयन सर्टिफिकेट	पंजीयन सर्टिफिकेट संलग्न करें।
2	ई.एस.आई.सी.	पंजीयन सर्टिफिकेट संलग्न करें।

अनिवार्य न्यूनतम योग्यता के मूल्यांकन हेतु संलग्न किये जाने वाले अभिलेखों की जानकारी (EC-1 से EC-9तक) प्रथम लिफाफा हेतु

क्र.	परिशिष्ट	विवरण
1.	परिशिष्ट—EC-1	(Incorporation Certificate of farm/ company/ society)
2.	परिशिष्ट EC-2	<ul style="list-style-type: none"> ● PAN प्रमाण पत्र संलग्न करें।
3.	परिशिष्ट EC-3	<ul style="list-style-type: none"> ● GST प्रमाण पत्र संलग्न करें। ● यदि फर्म के पास छत्तीसगढ़ में GST पंजीयन प्रमाण पत्र उपलब्ध हो संलग्न करें। माह मार्च वर्ष 2026 का GST (GSTR-1 & 3B) रिटर्न
4.	परिशिष्ट EC-4	Income Tax Return Acknowledgement & Computation For Financial Year 2022-23, 2023-24, 2024-25 संलग्न करें।
5.	परिशिष्ट— EC-5	<ul style="list-style-type: none"> ● कोचिंग संस्था/ फर्म के टर्न ओवरर संबंधी (CA) का प्रमाण-पत्र (प्रारूप संलग्न) ● वित्तीय वर्ष 2022-23, 2023-24, 2024-25 का ऑडिट रिपोर्ट संलग्न करें।
6.	परिशिष्ट— EC-6	GST/IT से छूट संबंधी प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो (यदि लागू हो तो)
7.	परिशिष्ट— EC-7	<p>पॉवर ऑफ एटार्नी हेतु घोषणा पत्र (प्रारूप संलग्न) (रु. 100/- के स्टाम्प पेपर पर नोटराईज्ड)</p>
8.	परिशिष्ट— EC-8	<p>कोचिंग फर्म/ संस्था/ कम्पनी को काली सूची/ खराब प्रदर्शन के आधार पर दण्डात्मक कार्यवाही न होने संबंधी स्वघोषणा प्रमाण-पत्र (Self Declaration) (प्रारूप संलग्न) (रु. 100/- के स्टाम्प पेपर पर नोटराईज्ड)</p>
9.	परिशिष्ट— EC-9	<ul style="list-style-type: none"> ● पी.एफ. में रजिस्ट्रेशन की प्रति संलग्न करें। ● ई.एस.आई. में रजिस्ट्रेशन की प्रति संलग्न करें।

प्रारूप

परिशिष्ट—EC-5

कोचिंग संस्था/फर्म के टर्न ओवर संबंधी (CA) का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि कोचिंग संस्था/फर्म का नाम तथा पता
का ऑडिट रिपोर्ट का मैंने पूर्ण रूप से परीक्षण कर लिया है, जिसके आधार पर JEE/NEET
क्लैट, सी.ए (फाईनल), सी.एस.(फाईनल), सी.एम.ए., बैंकिंग, ICWA (फाईनल) जैसी
प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग एवं अन्य गतिविधियों से संबंधित टर्न ओवर निम्नानुसार है :-

क्रमांक	वर्ष	टर्न ओवर (राशि लाख में)		
		JEE/NEET/CA, CS, CMA & CLAT, Banking, ICWAकी कोचिंग से संबंधित टर्न ओवर	अन्य गतिविधियों से संबंधित टर्न ओवर	योग
01	2022-23			
02	2023-24			
03	2024-25			
महायोग				

कोचिंग संस्था/फर्म के
संचालक का हस्ताक्षर एवं सील

**Signature of Statutory Auditor with
Seal
UDIN No.**

प्रारूप

परिशिष्ट-EC-7

पॉवर ऑफ एटार्नी हेतु घोषणा पत्र
(रु. 100 /- के स्टाम्प पेपर पर नोटराईज्ड)

कलेक्टर जिलाछ.ग. द्वारा जारी "रुचि की अभिव्यक्ति"
निविदा हेतु प्रयास आवासीय विद्यालय..... हेतु हमारी फर्म/संस्था
.....पता.....की ओर से
मैं.....आत्मज पता.....
.....उम्र.....आधार क्रमांक...
..... फर्म में हैसियत (पद)से अधिकृत होकर नाम.....
.....आत्मज.....पूरा पता..... आधार क्रमांक.....
.....को फर्म/कम्पनी/संस्था की ओर से इस प्रकाशित "रुचि की अभिव्यक्ति" के संबंध में
प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव पर डिस्कशन/बैठक में शामिल होने/निगोशियेशन/अनुबंध करने
तथा इस प्रोजेक्ट के संचालन करने हेतु अभिलेखों पर हस्ताक्षर करने तथा अन्य किसी भी
प्रकार के हस्ताक्षर करने हेतु अधिकृत करता हूँ।

यह भी प्रमाणित करता हूँ कि यह व्यक्ति किसी भी प्रकार के न्यायालयीन या
अपराधिक प्रकरण में लिप्त नहीं है। इनके द्वारा किसी भी प्रकार का नियमों का उल्लंघन किया
जाता है तो इसके लिए हमारे फर्म पर वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी।

फर्म के मालिक/साझेदार/संचालक
के हस्ताक्षर एवं सील
(जो कंपनी/फर्म के बॉयलॉज अनुसार Power
of Attorney जारी करने हेतु सक्षम)

गवाह के हस्ताक्षर

परिशिष्ट—EC-8

कोचिंग फर्म/संस्था/कम्पनी को काली सूची/खराब प्रदर्शन के आधार पर दण्डात्मक कार्यवाही न होने संबंधी स्वघोषणा प्रमाण-पत्र (Self Declaration)
(रु. 100 /— के स्टाम्प पेपर पर नोटराईज्ड)

हमारी संस्था/फर्म/कम्पनी.....

पूरा पता..... की ओर से मैं.....

(संचालक का नाम) आज दिनांक की स्थिति में घोषणा करता हूँ कि किसी भी शासन विभाग स्थानीय प्रशासन/एजेंसी छत्तीसगढ़/भारत देश/भारत देश से बाहर हमारे फर्म को किसी भी कारण से कार्य करने से प्रतिबंधित/ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया है, और न ही हमारी संस्था पर किसी प्रकार के दंडात्मक कार्यवाही की गई है।

आदिम जाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास विभाग द्वारा हमारी संस्था/फर्म/कम्पनी के ऊपर किसी भी प्रकार के खराब प्रदर्शन अथवा कोचिंग संस्था में कार्यरत शिक्षकों के वेतन भुगतान नहीं करने के संबंध में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी नोटिस का निराकरण कर लिया गया है तथा कोई कार्यवाही लंबित नहीं है।

उपरोक्त के संबंध में किसी भी स्तर पर गलत, मिथ्यापूर्ण जानकारी पाए जाने पर विभाग द्वारा आवेदन/अनुबंध निरस्त कर दिये जाने पर मेरी जिम्मेदारी होगी। इस पर मैं सहमति प्रदान करता हूँ।

फर्म के मालिक/साझेदार/संचालक
के हस्ताक्षर एवं सील

गवाह के हस्ताक्षर

(संस्था का सामान्य परिचय—पुष्टि हेतु अभिलेख संलग्न किया जावे)

- 1.(अ) पंजीकृत कोचिंग संस्था का नाम :
- (ब) कोचिंग संस्था का पूर्ण पता :
- (स) दूरभाष (कोड सहित) :
- (द) कोचिंग संस्था के संचालक का नाम
एवं पता/मोबाईल नम्बर :
2. कोचिंग संस्था किस समिति/फर्म/कम्पनी के अंतर्गत संचालित है :—
 - (अ) समिति/फर्म/कम्पनी का नाम :
 - (ब) समिति/फर्म/कम्पनी के कार्यालय
का पूर्ण पता :
 - (स) दूरभाष (कोड सहित) तथा
अधिकृत मोबाईल नम्बर :
 - (द) फर्म द्वारा किन-किन स्थानों पर
कोचिंग संस्थाएं का संचालन किया जा रहा है:
3. (अ) समिति/फर्म/कम्पनी किस एक्ट के तहत पंजीकृत है:
- (ब) समिति/फर्म/कम्पनी का जीवित पंजीयन क्रमांक
एवं बायलॉज की प्रमाणित प्रति :
- (स) समिति/फर्म/कम्पनी का वैधता दिनांक :
- (द) समिति/फर्म/कम्पनी के गर्वनमेन्ट बॉडी
की अंतिम बैठक का दिनांक :
- (इ) समिति/फर्म/कम्पनी के अंतिम बैठक
की आम सभा का दिनांक :
- (प) समिति/फर्म/कम्पनी के गर्वनिंग बॉडी के
अध्यक्ष एवं सदस्यों/पार्टनर/संचालकों के
नाम, पिता/पति का नाम, आयु, लिंग एवं पूर्ण पता :
4. फर्म/कंपनी के बैंक खाता का विवरण :—
(बैंकपास बुक/स्टेटमेंट जिसमें बैंक खाता का विवरण है संलग्न करें)
 - (अ) बैंक का नाम —
 - (ब) बैंक का पता —
 - (स) बैंक खाता क्रमांक
 - (द) IFSCकोड

फर्म के मालिक/साझेदार/संचालक
के हस्ताक्षर एवं सील

परिशिष्ट—TE-2
(Audit Report & Balance Sheets of Last three years)

परिशिष्ट—TE-3

(Details of **THREE SETS** of proposed Teachers/Faculty providing for this Project)
Name of Subject

S. No.	Name of Teachers	Qualifications	Name of Institute	Passing Year	Year of Experience	Name of Coaching Institute where teacher served as teacher	Experience Certificate of Teacher in on letter head of Coaching Institute

परिशिष्ट—TE-4A

(Year Wise Information of Coaching firm regarding No of students coached and success in different competition like JEE & NEET at National Level- Average of Last Three years)

S. No.	Name of Competitive Exam	No. of students got over all rank under 10000 in JEE Mains & 20000 rank in NEET at National Level
1	JEE Mains	
2	NEET	
Information regarding achievement of other exams		
S. No.	Name of Exam	No. of students finally selected
1	JEE Advance	
2	AIIMS	
3	NTSE (2 nd Level)	
4	Science Quç	
5	Olympoid	
6	SCRA	
7	Other Important Exam	

टीप :-कृपया जहां तक संभव हो सके साक्ष्य हेतु जानकारी इस प्रकार देंगे कि परीक्षण समिति को सही जानकारी का समाधान हो जाये। इस हेतु विद्यार्थियों का नाम, परीक्षा का नाम, उत्तीर्ण वर्ष, कोचिंग संस्था में प्रवेश की तिथि, प्रवेश क्रमांक, एवं फीस जमा करने का रसीद क्रमांक, मोबाईल नम्बर, जिला/राज्य का नाम, विद्यार्थी का ओवर आल रैंक, चयन उपरांत शैक्षणिक संस्था का नाम, Allotment Letter आदि जैसे जानकारी संलग्न करें, जिससे उपरोक्त जानकारी का सत्यापन किया जा सके। यह जानकारी Statutory Auditor से प्रमाणित होना चाहिए।

परिशिष्ट—TE-4B

(Year Wise Information of Coaching firm regarding No of students coached and success in different competition like JEE & NEET at Chhattisgarh State Level- Average of Last Three years)

S. No.	Name of Compitative Exam	No. of students got over all rank under 10000 in JEE Mains & 20000 rank in NEET at National Level
1	JEE Mains	
2	NEET	
Information regarding achievement of other exams		
S. No.	Name of Exam	No. of students finally selected
1	JEE Advance	
2	AIIMS	
3	NTSE (2 nd Level)	
4	Science Quç	
5	Olympoid	
6	SCRA	
7	Other Important Exam	

टीप :-कृपया जहां तक संभव हो सके साक्ष्य हेतु जानकारी इस प्रकार देंवे कि परीक्षण समिति को सही जानकारी का समाधान हो जाये। इस हेतु विद्यार्थियों का नाम, परीक्षा का नाम, उत्तीर्ण वर्ष, कोचिंग संस्था में प्रवेश की तिथि, प्रवेश क्रमांक, एवं फीस जमा करने का रसीद क्रमांक, मोबाईल नम्बर, जिला/राज्य का नाम, विद्यार्थी का ओवर आल रैंक, चयन उपरांत शैक्षणिक संस्था का नाम, Allotment Letterआदि जैसे जानकारी संलग्न करें, जिससे उपरोक्त जानकारी का सत्यापन किया जा सके। यह जानकारी Statutory Auditor से प्रमाणित होना चाहिए।

परिशिष्ट—TE-5

(List of branches of coaching institute in Chhattisgarh)

S. No.	District Name	Name of City where coaching have been estblished	Name of Center incharge and Mobile No.

परिशिष्ट—TE-6

(Study Material)

स्टडी मटेरियल तैयार करने हेतु कोचिंग संस्था के विषय विशेषज्ञ, जो कोचिंग संस्था के स्थायी फैकल्टी के रूप में नियुक्त होकर स्टडी मटेरियल तैयार करने वाले टीम के सदस्यों का विवरण :-

क्र.	फैकल्टी का नाम	शैक्षणिक योग्यता	अनुभव (वर्ष में)	संस्था में कब से कार्यरत हैं?
1.				
2.				

टीप :- स्टडी मटेरियल पृथक से सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, जिला कार्यालय में जमा करना होगा।

परिशिष्ट—TE-7

(Attested Power point presentations on Approach, methodology and strategy)

परिशिष्ट—TE-8

(Information of Project Incharge for the Project)

S. No.	Name of Project Incharge for this project	Qualifications	Year of Experience	Name of State	Address	Mobile No.

परिशिष्ट—TE-9
घोषणा/सहमति पत्र (Declaration)
संस्था/फर्म/कम्पनी संचालक की घोषणा

मैंपदकोचिंग संस्था की ओर से प्रमाणित करता/करती हूँ कि मैंने प्रकाशित रुचि की अभिव्यक्ति अंतर्गत समस्त शर्तों एवं प्रावधानों का अध्ययन कर, समझकर एवं संतुष्ट होकर प्रयास बालक/कन्या आवासीय विद्यालय, जिला—.....(छ.ग.) हेतु आवेदन किया है। आवेदन पत्र के 'भाग—एक', भाग—दो(1—5) तथा भाग—तीन में दर्शाई गई जानकारी एवं उनकी पुष्टि हेतु पृथक से संलग्न विस्तृत विवरण मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सही है। प्रस्ताव में दी गई जानकारी भ्रामक एवं त्रुटिपूर्ण होने पर प्रस्ताव निरस्त किया जा सकेगा तथा विधिक कार्यवाही हेतु मैं जिम्मेदार रहूंगा।

प्रयास संचालन नियमों में यदि कोई संशोधन होता है तो वह मुझे मान्य होगा। विभाग द्वारा अध्यापन एवं कोचिंग कार्य हेतु कार्यादेश प्राप्त होने की स्थिति में विभागीय निर्देशों का पालन करते हुए निर्धारित समयावधि में कार्य पूर्ण किया जाएगा एवं अनुबंध की शर्तों का पालन किया जाएगा।

दिनांक :
स्थान :

हस्ताक्षर/मोहर
सहित

आदिम जाति, अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास विभाग द्वारा संचालित प्रयास आवासीय विद्यालयों के कक्षा 9वीं, 10वीं 11वीं तथा 12वीं में अध्यापन एवं कोचिंग कार्य हेतु फेकल्टी की व्यवस्था के लिए पंजीकृत कोचिंग संस्थाओं से ऑनलाईन “रूचि की अभिव्यक्ति” का आमंत्रण (वर्ष 2026–27)

(रूचि की अभिव्यक्ति की सूचना क्रमांक 477 दिनांक 12.06.2026 के संदर्भ में)

वित्तीय प्रस्ताव – भाग–तीन FB-1 (तृतीय लिफाफा हेतु)

क्र.	कार्य का नाम	संचालित कक्षा	विद्यार्थियों की संख्या प्रत्येक कक्षा जो परिवर्तनीय है	दर प्रति विद्यार्थी प्रतिमाह (समस्त कर सहित)	
				अंको में	शब्दों में
1.	प्रयास बालक/कन्या आवासीय विद्यालय, जिला(छ.ग.)	09वीं (वर्ष 2026–27) 10वीं (वर्ष 2027–28) 11वीं (वर्ष 2028–29) 12वीं (वर्ष 2029–30)		

मैं उपरोक्त दर प्रति विद्यार्थी प्रतिमाह (समस्त कर सहित) पर कार्य करने हेतु सहमत हूँ। अंकों एवं शब्दों में लिखे दर में भिन्नता होने पर शब्दों में लिखे गए दर को मान्य किया जाएगा।

संस्था प्रमुख के हस्ताक्षर
(पदमुद्रा सहित)

टीप:-

- वित्तीय प्रस्ताव प्रत्येक संस्था निविदा हेतु पृथक-पृथक जमा किया जाना है। आप जिस संस्था हेतु आवेदन करना चाहते हैं, उसी संस्था का वित्तीय लिफाफा भरें।
- यह वित्तीय प्रस्ताव ऑनलाईन प्रस्तुत किया जावे।
- कोई भी कांट-छांट स्वीकार नहीं किया जाएगा तथा काट-छाट होने पर प्रस्ताव निरस्त किया जायेगा।
- शिक्षण सत्र 2026–27, 2027–28, 2028–29 एवं 2029–30 हेतु प्रयास बालक एवं कन्या आवासीय विद्यालयों में उपस्थित विद्यार्थियों को अध्यापन एवं कोचिंग कराये गये माह के आधार पर ही प्रति विद्यार्थी राशि देय होगी।

Check List for Minimum Eligibility Criteria (Part-1)

S. No.	Form	Form Description	EoI Ref. Section	Page No. of Praposal
1	E.C.-1	Incorporation Certificate		
2	E.C.-2	PAN Certificate		
3	E.C.-3	GSTIN Certificate		
4	E.C.-4	IT Return Certificate		
5	E.C.-5	Turn Over Certificate (C.A. Certificate)		
6	E.C.-6	Exemption from GST (deposit) /IT(deduction) issued by authority		
7	E.C.-7	Power of Attorney		
8	E.C.-8	Self Dedection Certificate & Non Black List Certificate		
9	E.C.-9	Last three months GST return		

Check List for Documents of Technical Evaluation (Part-2)

S. No.	Form	Form Description	EoI Ref. Section	Page No. of Praposal
1-	T.E.-1	Detail Information of Registard Firm		
2-	T.E.-2	Audit Report & Balance Sheets of three years		
3-	T.E.-3	Details of three sets of proposed Teachers/Faculty providing for this Project		
4-	T.E.-4 A&B	Year wise Information of Coaching firm regarding No of students coached and success in different competition like JEE & NEET		
5-	T.E.-5	List of branches of coaching institute in Chhattisgarh		
6-	T.E.-6	Study Material		
7-	T.E.-7	Attested Power point presentations on Approch, methodology and strategy		
8-	T.E.-8	Information of Project Incharge for the Project		
9-	T.E.-9	Declaration		
10-	T.E.-10	Any other document as per EOI		

Check List for Financial Proposal (Part-3)

S. No.	Form	Form Description	EoI Ref. Section	Page No. of Praposal
1	F.B.-1	Financial Proposal		